संख्याः1803—15 / सात—लाईसेंस / (51) बार—नीति / 2004—05

प्रेषक,
आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी
उत्तरांचल।

देहरादूनः दिनांक : जून 28,, 2004

विषयः होटल एवं रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञापनों को वर्ष 2004—05 हेतु व्यवस्थापित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

वर्ष 2004—05 की आबकारी नीति विषयक शासनादेश संख्या 780 / XXIII / दिनांक 31 / 05 / 2004 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके कम में होटल एवं बार अनुज्ञापनों, क्लब परमिट एवं बीयर बार अनुज्ञापनों के संबंध में निम्नानुसार आदेश दिये जाते हैं।

1. होटल एवं रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञापन एवं क्लब परमिट के स्वीकृति के संबंध में तीन, चार व पांच सितारा होटलों को बार लाइसेंस दिये जाने की वर्तमान व्यवस्था यथावत रहेगी।

2. अन्य होटलों व रेस्त्राओं को बार लाइसेंस दिये जाने के संबंध में उत्तरांचल शासन के आदेश संख्याः110—22 / लाइसेंस / बार नीति / 2001—02 दिनांक 6.4. 2001 द्वारा जारी की गयी नीति का अनुसरण किया जायेगा परन्तु ऐसे अनुज्ञापनों की संस्तुति के समय अन्य प्रतिबंधों के साथ—साथ इस अतिरिक्त प्रतिबंध का आवश्यक रूप से परीक्षण कर लिया जाये कि प्रश्नगत आवेदक होटल / रेस्त्रा का विगत वित्तीय वर्ष में पके भोजन का विकय धन रू0 3.00 लाख (तीन लाख रूपये) से कम न रहा हो।

3. गढ़वाल व कुमायूं मण्डल विकास निगमों के पर्यटक आवास गृहों हेतु वित्तीय वर्ष 2002–03 में शासनादेश संख्या 824/आब0/26/2002, दिनांक 02.10.2002 के अनुसार निर्धारित नीति यथावत रहेगी।

4. (अ) चार एवं पांच सितारा होटलों की अनुज्ञापन शुल्क एवं क्लब बार की परमिट फीस पूर्ववत जमा करायी जायेगी।

   (ब) अन्य होटल एवं रेस्टोरेन्ट की बार अनुज्ञापन शुल्क 2.00 (दो लाख) रूपये प्रतिवर्ष या वर्ष के किसी भाग के लिए निर्धारित की जाती है, तदनुसार जमा करायी जाये।

   (स) बार अनुज्ञापनों के अंतर्गत 20,000 (बीस हजार) बोतल तक स्प्रिट् (व्हिसकी, ब्राण्डी, रम, जिन आदि बीयर को छोड़कर) की वार्षिक बिक्री पर रू0 40.00 प्रति बोतल की दर से परमिट फीस (अधिभार) देय होगा जो दिनांक 11.06.2004 से प्रभावी होगी। 20,000 बोतलों की गणना वित्तीय वर्ष 2004–05 के प्रारम्भ अर्थात 01.04.2004 से ही की जायेगी। बीस हजार बोतल से अधिक की बिक्री पर पूर्व वर्ष की भांति प्रत्येक 10 (दस) प्रतिशत की वृद्धि पर रू0 5.00 की दर से अतिरिक्त परमिट फीस (अधिभार) की वसूली की जायेगी।

5. जिन स्थलों पर सीजनल पर्यटकों के आने के कारण कुछ महीनों में ही अधिक व्यवसाय होता है वहां छः माह की अवधि के लिए भी लाइसेंस स्वीकृत किये जा सकेंगे और ऐसे होटलों, रेस्टोरेन्टों के लिए भी उपरोक्त बिन्दु–2 के निर्देशों का अनुसरण किया जायेगा। ऐसे अनुज्ञापनों एवं उनकी लाइसेंस फीस का निर्धारण शासन के निर्देशानुसार किया जायेगा।

6. (अ) उन होटलों एवं रेस्त्राओं को जिनकी विगत तीन वर्षों में पके हुए भोजन की बिक्री तीन लाख रूपये वार्षिक या उससे अधिक रही हो उन्हें पचास हजार रूपये प्रतिवर्ष या वर्ष के किसी भाग के लिए अनुज्ञापन प्रपत्र एफ0एल0 7 बी (परिसर में उपभोग हेतु बीयर की फुटकर बिक्री हेतु अनुज्ञापन) में निर्गत किये जायेंगे। ऐसे रेस्त्राओं/होटलों का चयन भी उपरोक्त बिन्दु–2 में उल्लिखित

शासनादेश दिनांक 6.04.2001 की व्यवस्था के अनुसार शासन के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।

(ब) जिन स्थलों पर सीजनल पर्यटकों के आने के कारण कुछ महीनों में ही अधिक व्यवसाय होता है, वहां छः माह की अवधि के लिए भी एफ0एल0–7ब अनुज्ञापन स्वीकृत किये जा सकेंगे। ऐसे होटलों/रेस्त्राओं के लिए भी चयन उपरोक्त बिन्दु–2 में उल्लिखित शासनादेश दि0 6.4.2001 के अनुसार ही किया जायेगा। ऐसे अनुज्ञापनों एवं उनके शुल्क का निर्धारण शासन के निर्देशानुसार होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

बी0सी0 चन्दोला
आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल

संख्याः1816–37/सात–लाईसेंस/(51) बार–नीति/2004–05 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, उत्तरांचल शासन, आबकारी विभाग, उत्तरांचल।
2. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरांचल।
3. अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय।
4. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।

बी0सी0 चन्दोला
आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल

टैक्स स्ट्रैक्चर वर्ष 2004–05

विभिन्न मादक पदार्थो के विनिर्माणशालाओं तथा थोक एवं फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के लिए वर्ष 2004–05 की उत्तरांचल प्रदेश की लाईसेंसिंग प्रणाली के अन्तर्गत अनुज्ञापन शुल्क, उत्पाद शुल्क, निर्यात, आयात, एसेस्ड फीस आदि का संक्षिप्त विवरणः–

क्र0 सं0	मादक पदार्थ का नाम	लाईसेंस के प्रकार	लाईसेंस फीस की दर
1	2	3	4
	देषी मदिरा थोक बिक्री प्रणाली	**थोक देषी मदिरा सप्लाई के सी0एल0–1 लाइसेंस।**	
		(क)10 लाख ब0ली0 तक देशी मदिरा सप्लाई वाले जनपद।	रू0 3,27,319/–
		(ख)10 लाख से अधिक किन्तु 20 लाख ब0ली0 तक देशी मदिरा सप्लाई वाले जनपद।	रू0 6,54,638/–
		(ग) 20 लाख से अधिक किन्तु 40 लाख ब0ली0 तक देशी मदिरा सप्लाई वाले जनपद।	रू0 10,91,063/–
		(घ) 40 लाख से अधिक किन्तु 60 लाख ब0ली0 तक देशी मदिरा सप्लाई वाले जनपद।	रू0 14,54,750/–
		(ड.) 60 लाख से अधिक किन्तु 80 लाख ब0ली0 तक देशी मदिरा सप्लाई वाले जनपद।	रू0 18,18,438/–
2.	विदेषी मदिरा थोक बिक्री प्रणाली	1. बी0डब्लू0एफ0एल0–2(बाण्ड) (विदेशी मदिरा एवं बियर) प्रदेश के बाहर की आसवनियों के लिए	रू0 2,90,950/– (दो लाख नब्बे हजार नौ सौ पचास रूपये) प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए।
		2. बी0डब्लू0एफ0एल0–2बी (बाण्ड)(केवल बियर) प्रदेश के बाहर की ब्रिवरीज के लिए	रू0 1,45,475/–(एक लाख पैंतालीस हजार चार सौ पिछत्तर रूपये)वर्ष या वर्ष के भाग के लिए

		3. एफ0एल0—1 (प्रदेश की आसवनियों को स्वयं निर्मित विदेशी मदिरा एवं बियर एफ0एल0—2 को बेचने हेतु देय लाइसेंस)	रू0 72,738 / — (रू0 बहत्तर हजार सात सौ अड़तीस रूप्ये) वर्ष या वर्ष के भाग के लिए।
		4. एफ0एल0—2(ड्यिूटी पेड विदेषी मदिरा एवं बियर की थोक बिक्री लाईसेंस)	वार्षिक या वर्ष के किसी भाग के लिए
		1. देहरादून	रू0 21,82,125 / —
		2. पौड़ी गढ़वाल	रू0 21,82,125 / —
		3. टिहरी गढ़वाल	रू0 17,82,069 / —
		4. उत्तरकाशी	रू0 10,54,694 / —
		5. चमोली	रू0 10,54,694 / —
		6. रूद्रप्रयाग	रू0 6,54,638 / —
		7. नैनीताल	रू0 21,82,125 / —
		8. ऊधमसिंहनगर	रू0 21,82,125 / —
		9. अल्मोड़ा	रू0 17,82,069 / —
		10. पिथौरागढ़	रू0 10,54,694 / —
		11. बागेश्वर	रू0 10,54,694 / —
		12. चम्पावत	रू0 10,54,694 / —
		13. हरिद्वार	रू0 21,82,125 / —
		5.एफ0एल0—2बी (केवल डियुटी पेड बियर की थोक बिक्री लाइसेंस)	रू0 7,27,375 / — प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए
		6. एफ0एल0—2ए (सैन्य इकाईयों को मदिरा एवं बियर की सप्लाई हेतु थोक बिक्री लाइसेंस	रू0 2875 / — प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए
3. पी0डी0—2 अनुज्ञापन (आसवनी में स्प्रिट के उत्पादन हेतु दिया जाने वाला अनुज्ञापन			रू0 21,822 / — वर्ष या वर्ष के भाग हेतु
4. एफ0एल0एम0—3 अनुज्ञापन (विदेषी मदिरा की बोतल भराई इकाई को दिया जाने वाला अनुज्ञापन)			

प्रतिवर्ष 15 लाख मानक बोतलों से कम भराई तक।	रू0 7,27,375 / —वर्ष या वर्ष के भाग हेतु
प्रति वर्ष 15 लाख से अधिक परन्तु 20 लाख से कम बोतलों की भराई हेतु ।	रू0 14,54,750 / — वर्ष या वर्ष के भाग हेतु
प्रतिवर्ष 20 लाख से अधिक परन्तु 50 लाख तक बोतलों की भराई हेतु	रू0 21,82,125 / — वर्ष या वर्ष के भाग हेतु

5 (अ) होटल एंण्ड रेस्टोरेन्ट बार

(1) तीन सितारा होटलों तक ।	2,00,000/— रूपये प्रतिवर्ष या वर्ष के भाग के लिए ।
(2) चार व पांच सितारा होटलों में स्थित बार ।	5,00,000/—रूपये वर्ष या वर्ष के भाग के लिए।
(3)सीजनल पर्यटकों हेतु छः माह के लिये दिये जाने वाले बार लाइसेंस तीन सितारा होटलों तक के स्तर के लिए	1,00,000/— रू0 प्रति सीजन अधिकतम छः माह हेतु ।

5 (ब) बियर बार अनुज्ञापन

(1) बियर बार अनुज्ञापन	50,000/—रू0 प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए
(2)सीजनल पर्यटकों हेतु छः माह के लिये जाने वाले बियर बार लाइसेंस	25,000/—रू0प्रति सीजन अधिकतम छः माह हेतु ।

अन्य मिसलेनियस लाइसेंसों हेतु भी लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत वृद्वि प्राप्त की जायेगी।

6 क्लब बार परमिट

(1) ऐसे क्लब जहां सदस्यों की संख्या 100 तक हो	60,500/— रू0 प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए
(2) ऐसे क्लब जहां सदस्यों की संख्या 101 से 500 तक हो	90,750/— रू0 प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए
(3) ऐसे क्लब जहॉ सदस्यों की संख्या 500 से अधिक हो	1,21,000/—रू0 प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए

बार व क्लब बार परमिट पर प्राप्त की जाने वाली विदेशी मदिरा पर देय परमिट फीस	(अ) प्रति मानक क्वार्ट बोतल पर 40 रूपये (20,000 बोतल वार्षिक की सीमा तक) (ब) 2000 बोतल वार्षिक की सीमा से अधिक प्रत्येक 10 प्रतिशत वृद्वि पर बोतलों की बिक्री पर रू0 5/— प्रति बोतल की बढ़ी दर से अर्थात

10 प्रतिशत तक वृद्वि पर	45/— रूपये प्रति बो0
10 प्रतिशत से अधिक परन्तु 20 प्रतिशत तक वृद्वि पर	50/— रूपये प्रति बो0
20 प्रतिशत से अधिक परन्तु 30 प्रतिशत तक वृद्वि पर	55/— रूपये प्रति बो0
30 प्रतिशत से अधिक परन्तु 40 प्रतिशत तक वृद्वि पर	60/— रूपये प्रति बो0

इस प्रकार प्रत्येक 10 प्रतिशत अतिरिक्त उठान पर परमिट फीस रू0 5/— प्रति बोतल बढ़ायी जायेगी।

7. उत्पाद शुल्क की दरें

1.विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की अभिकर की दर।	55.00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर ।
2. बियर (5 प्रतिशत तक अल्कोहल तीव्रता वाली) की अभिकर की दर	11.55 रू0 प्रति बल्क लीटर ।
3. बियर (5 प्रतिशत से अधिक परन्तु 8 प्रतिशत तक अल्कोहल तीव्रता वाली) की अभिकर की दर	23.10 रू0 प्रति बल्क लीटर ।
4.सैन्य कैन्टीन को दी जाने वाली रियायती रम	43.00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर ।
5. भारतीय सेना एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस को दी जाने वाली रम–उत्तरांचल राज्य के भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में तैनात भारतीय सैनिकों एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस को प्रतिवर्ष दी जाने वाली क्रमशः 1,80,180 लीटर एवं 41,168 लीटर की सीमा तक रम ।	शासकीय अधिसूचना संख्या 27/आब/2002/दिनांक 14.1.2002 के द्वारा इस सीमा तक रम अभिकर मुक्त कर दी गयी है।

8.एसेस्मेंट शुल्क की दरें

एफ0एल0–9/9एः– निश्चित लाइसेंस फीस 92/–रू0 प्रति लाईसेंस वार्षिक देय होगी व विदेशी मदिरा, रियायती रम तथा बियर की बिकी पर निम्नानुसार एसेसमेंट फीस देय होगी।

1.	विदेशी मदिरा (व्हिस्की, ब्राण्डी एवं जिन)	30.00 रू0 प्रति बोतल ।
2.	रियायती रम	18.00 रू0 प्रति बोतल ।
3.	बियर (5 प्रतिशत एल्कोहल तीव्रता तक)	2.00 रू0 प्रति बोतल ।
4.	बियर (5 प्रतिशत से अधिक परन्तु 8 प्रतिशत तक एःल्कोहल तीव्रता वाली)	3.00 रू0 प्रति बोतल ।

9.आयात की दरेंः–

1.	विदेशी मदिरा (बोतलों में)	5.00 रू0 प्रति बोतल ।
2.	विदेशी मदिरा (ब0ली0 में)	2.00 रू0 प्रति अल्कोहल ली0
3.	बियर	1.00 रू0 प्रति बोतल ।
4.	माल्ट स्प्रिट	2.00 रू0 प्रति अल्कोहल ली0
5.	रेक्टिफाईड स्प्रिट	1.00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर
6.	विकृत सुरा/विशेष विकृत सुरा (अ)उत्तराचंल स्थित औद्योगिक रासायनिक इकाईयों द्वारा विशेषतः विकृत स्प्रिट (एस0डी0एस0) व विकृत स्प्रिट (डी0एस0) आयात किये जाने पर। (Hospitals, Dispensaries and other charitable and educational institutionsa के लिए भी छूट पूर्ववत जारी रहेगी ।)	शून्य।
	(ब)थोक व फुटकर विक्रेताओं तथा प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा विशेषतः विकृत स्प्रिट (एस0डी0एस0) व विकृत स्प्रिट (डी0एस0) आयात किये जाने पर ।	रू0 1.10/– (रूपये एक एवं दस पैसे मात्र) प्रति ब0ली0

10. निर्यात फीस की दरें

1.	शोधित आसव (पेय मदिरा अथवा औद्योगिक प्रयोजनार्थ)	2.25 रू0 प्रति बल्कलीटर ।
2.	ई0एन0ए0	2.50 रू0 प्रति बल्कलीटर ।
3	विकृत सुरा (औद्योगिक प्रयोजनार्थ)	0.50 रू0 प्रति बल्कलीटर
4.	देशी मदिरा	4.00 रू0 प्रति अल्कोहल ली0
5.	विदेशी मदिरा (बोतलों में)	2.67 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर
6.	विदेशी मदिरा (ब0ली0 में)	5.00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर
7.	बियर	0.50 रू0 प्रति बल्क लीटर
8.	माल्ट स्प्रिट	5.00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर
9.	भांग	3.00 रू0 प्रति किलोग्राम

11. **(अ) विदेशी मदिरा के एक्स डिस्टिलरी मूल्य पर स्लैबवार देय अधिभार/अभिकर (एफ0एल0–5ब अनुज्ञापी द्वारा देय) एतद्विषयक नियमावली के पंचम संशोधन के अनुसार– जो दिनांक 19.7.2003 से प्रभावी होगी।**

एक्स आसवनी मूल्य (प्रति बोतल)	न्यूनतम वार्षिक गारन्टीड राशि में से देय प्रति बोतल अभिकर
16/– रू0 तक	45.00/– रू0 प्रति बोतल
16.01/– रू0 से 20/– रू0 तक	50.00/– रू0 प्रति बोतल
20.01/– रू0 से 35/–रू0 तक	60.00/– रू0 प्रति बोतल
35.01/– रू0 से 75 रू0 तक	75.00/– रू0 प्रति बोतल
75.01/– रू0 से 150.00 रू0 तक	90.00/– रू0 प्रति बोतल
150.00/–रू0 से अधिक	110.00/– रू0 प्रति बोतल

एफ0एल0–2 से बियर की निकासी पर न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की कोई राशि देय नहीं होगी ।

12.एफ0एल0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत आसवक को न्यूनतम 1,00,000/– रूपये प्रतिवर्ष की दर से बाटलिंग फीस निम्न दरों पर विदेशी मदिरा की बोतलों की भराई पर देय होगी :–

कमांक	बोतल का प्रकार	एफ0एल0–3 हेतु
1.	1000मिलीलीटर बोतल	1.35 रू0 प्रति बोतल
2.	750मिलीलीटर बोतल	1.00 रू0 प्रति बोतल
3.	500मिलीलीटर बोतल	0.75 रू0 प्रति बोतल
4.	375 मिलीलीटर अद्धा	0.60 रू0 प्रति अदधा
5.	180मिलीलीटर पौव्वा	0.40 रू0 प्रति पौवा

13. देशी मदिरा का अधिभार (सी0एल0–5सी अनुज्ञापी द्वारा देय)

देशी मदिरा के अधिभार 66/– रूपये प्रति बल्क लीटर 36 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की देशी शराब पर।

14. आबकारी मैनुअल खण्ड–1 के भाग–2 के चैप्टर–VIII के सेक्षन–ग्गट के नियम–12 के अन्तर्गत आसवनी/विदेषी मदिरा की बोतलों की भराई नियमावली, 1969 (यथासंषोधित) के अन्तर्गत तथा आसवनी में किसी सेक्षन में ओवर टाईम फीस का निर्धारण निम्नवत है:–

आबकारी निरीक्षक के लिए	रू0 60.00 प्रति घंटा ।
आबकारी लिपिक/उप आबकारी निरीक्षक	रू0 36.00 प्रति घण्टा
आबकारी सिपाही	रू0 32.00 प्रति घण्टा।

16.शीरा पर प्रषासनिक शुल्क

1.	राज्य की इकाईयों हेतु शीरा की बिक्री पर प्रशासनिक शुल्क	रू08/– प्रति कुंटल
2.	उत्तर प्रदेश की अल्कोहल/शीरा पर आधारित रासायनिक उद्योगों हेतु की गयी शीरा की बिक्री पर	रू0 8/– प्रति कुंटल
3.	उपरोक्त (2) के अतिरिक्त शीरा के निर्यात पर	रू0 8/– प्रति कुंटल

(बी0सी0 चन्दोला)
आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल,देहरादून।

संख्याः7016–65/सात–लाईसेंस(30)टैक्स स्ट्रैक्चर/2006–07 दिनांकःमार्च ,2006

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषितः–

1. समस्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल।
2. समस्त जिला आबकारी अधिकारी,उत्तरांचल।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी,बंधित गोदाम/आसवनियॉ,उत्तरांचल।
4. समस्त प्रभारी अधिकारी,चीनी मिलें,उत्तरांचल।

5. समस्त अनुभाग अधिकारी,मुख्यालय।
6. गार्ड फाईल।

(डा0 के0बी0 जौहरी)
उप आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल,देहरादून।

उत्तरांचल शासन
आबकारी अनुभाग
संख्या– 314/XXIII /2005/09/2005
देहरादून : दिनांक 03 मार्च, 2005

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के साथ पठित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरांचल राज्य में देशी एवं विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए निम्नवत् आबकारी नीति घोषित करते हैं :–

यह नीति दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च 2006 तक प्रभावी रहेगी।

1. **लाईसेंस फीस का निर्धारण–** वित्तीय वर्ष 2005–2006 की लाईसेन्स फीस के निर्धारण हेतु, वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए निर्धारित देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों की श्रेणी देशी मदिरा के लिए बल्क लीटर में एवं विदेशी मदिरा के लिए बोतलों में वित्तीय वर्ष 2004–2005 की भांति स्लैबवार यथावत् रखी जायेगी तथा प्रत्येक स्लैब के लिए 'निर्धारित लाईसेंस फीस' में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

2. **न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का निर्धारण–** वित्तीय वर्ष–2004–05 में दुकानदार 'निर्धारित अधिभार' (न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी) में 15 प्रतिशत की वृद्धि करके वित्तीय वर्ष 2005–2006 की न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी निर्धारित कर दी जायेगी।

3. **'राजस्व' निर्धारण**–उपरोक्तानुसार वर्ष 2005–2006 के लिए निर्धारित लाईसेंस फीस एवं न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का कुल योग दुकानों का 'राजस्व' होगा।

4. **देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों के राजस्व का व्यवस्थापन**–प्रत्येक जनपद में स्थित देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों के लिए उपरोक्त प्रक्रियानुसार दुकानवार 'राजस्व' निर्धारित करते हुए जनपद का कुल 'राजस्व' निर्धारित कर दिया जायेगा

जिसके आधार पर जिलाधिकारी दुकानों का व्यवस्थापन करेंगे। जिलाधिकारी दुकानों का 'राजस्व' सामान्य रूप से उपरोक्त सिद्वान्त के अनुरूप निर्धारित करेंगे परंतु दुकान का 'राजस्व' निर्धारित करते समय इस बिन्दु को भी ध्यान में रखेंगे कि वित्तीय वर्ष 2003–2004 तथा 2004–2005 के व्यवस्थापन के समय कुछ दुकानों के लिए बड़ी मात्रा में आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जो यह इंगित करता हो कि इन दुकानों की सामर्थ्य निर्धारित राजस्व से काफी अधिक है तो वह जिलाधिकारी ऐसी दुकानों का 'राजस्व' निर्धारित करते समय दुकान की सामर्थ्य के आधार पर, आबकारी आयुक्त के पूर्वानुमोदन के आगणित राशि से अधिक राजस्व निर्धारित कर सकेंगे।

5. **देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आवंटन–** जिलाधिकारी द्वारा दुकानवार 'राजस्व' निर्धारित करने के पश्चात गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमाऊं मण्डल विकास निगम, पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों, सहकारी संस्थाओं तथा निजी आवेदकों से 'निर्धारित राजस्व' पर देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान चलाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर, जिसका मूल्य 200.00 रूपये होगा, आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। जहां एक दुकान के लिए एक ही आवेदक हो उसे दुकान आबंटित कर दी जायेगी तथा एक से अधिक आवेदकों की दशा में लाटरी द्वारा आबंटन किया जायेगा। देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु उपरोक्त प्रकिया तब तक अपनाई जायेगी जब तक समस्त दुकानें व्यवस्थापित नहीं हो जाती है।

परन्तु यदि वित्तीय वर्ष 2005–2006 की किसी अवधि में दुकान व्यवस्थापन की प्रकिया में समय लगता है तो व्यवस्थापन की अवधि में दुकान को दैनिक आधार पर चलाया जायेगा। इसके लिए भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा अनुमोदन करने पर निर्धारित 'राजस्व' के सापेक्ष दैनिक मूल्य पर संचालित करने की अनुमति प्रदान किये जाने पर भी विचार किया जा सकेगा।

परन्तु यह और कि उपरोक्त दोनों निगमों, पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों तथा सहकारी संस्थाओं को

छोड़कर, उपरोक्त प्रक्रिया में निजी अनुज्ञापी को एक जनपद में देशी एवं विदेशी मदिरा की एक से अधिक दुकान आबंटित नहीं की जायेगी, अर्थात देशी अथवा विदेशी मदिरा में से केवल एक ही दुकान आबंटित की जा सकेंगी।

परन्तु यह भी कि यदि उपरोक्त प्रक्रिया में कोई देशी या विदेशी मदिरा की दुकान अव्यवस्थापित रह जाती है तो उनके व्यवस्थापन के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा शासन के अनुमोदनोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

6. **पात्रता**– देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के आबंटन के सम्बन्ध में पात्रता की शर्तें वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुरूप होंगी।

अनुज्ञापी को दुकान आबंटित होने के तीस दिन के भीतर जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण–पत्र तथा चरित्र प्रमाण–पत्र लाइसेंसिग प्राधिकारी (कलक्टर) के पास प्रस्तुत करना होगा। पावर आफ एटार्नी के आधार पर दुकान संचालित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

7. **देशी एवं विदेशी मदिरा की निकासी में न्यूनतम ड्यूटी की गणना**–निकासी एवं न्यूनतम ड्यूटी की गणना के लिए उपरोक्त मद 2 के अनुसार न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी में मद 1 के अनुसार 2005–2006 के लिए निर्धारित 'लाईसेंस फीस' एवं वर्ष 2004–2005 की 'लाईसेंस फीस' के अन्तर को जोड़ते हुए कुल धनराशि पर निकासी दी जायेगी अर्थात् वर्ष 2004–2005 की तुलना वर्ष 2005–2006 की लाईसेंस फीस में हुई वृद्वि को भी वर्ष 2005–2006 हेतु निर्धारित कर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी में जोड़ते हेतु सम्पूर्ण धनराशि के विरूद्ध न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की गणना की जायेगी।

8. **देशी एवं विदेशी मदिरा पर उत्पादन शुल्क की दर**–विदेशी मदिरा संदेय उत्पाद शुल्क की दर रू0 55.00 रू0 प्रति अल्कोहलिक लीटर होगी। देशी मदिरा (36वी0/वी0 तीव्रता) पर ड्यूटी रू0 66.00 से बढ़ाकर रू0 70.00 रू0 प्रति बल्क लीटर की जायेगी।

9. **विदेशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम ड्यूटी की गणना निम्न प्रकार होगी**–

रू0 20.00 प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 55.00
रू.0 20.01 से रू0 35.00 तक एक्स आसवानी मूल्य पर	रू0 65.00
रू0 35.01 से रू0 75.00 तक एक्स आसवानी मूल्य पर	रू0 80.00
रू0 75.01 से रू0 150.00 तक एक्स आसवानी मूल्य पर	रू0 100.00
रू0 150.00 से अधिक एक्स आसवानी मूल्य पर	रू0 110.00

10. **सैन्य कैन्टीनों द्वारा बिक्री पर ड्यूटी तथा एसेस्मेंट फीस की दर**–उत्तरांचल में वर्तमान समय में विदेशी मदिरा की बिक्री पर ड्यूटी की दर 55.00 रू0 प्रति अल्कोहलिक लीटर है जबकि सैन्य कैन्टीनों को दी जाने वाली रियायती रम पर यह दर रू0 43.00 प्रति अल्कोहलिक लीटर है। इसे बढ़ाकर 45.00 रू0 प्रति अल्कोहलिक लीटर किया जाता है।

उपरोक्तानुसार ही सैन्य कैन्टीनों द्वारा बिक्री की जाने वाली विदेशी मदिरा (व्हिस्की, ब्राण्डी एवं जिन) पर एसेस्मेन्ट फीस की दर 30.00 रू0 प्रति बोतल से बढ़ाकर 32.00 रू0 प्रति बोतल तथा रियायती रम पर 18.00 रू0 प्रति बोतल को बढ़ाकर 20.00 रू0 प्रति बोतल किया जाता है।

11. **मदिरा का विक्रय मूल्य**– वित्तीय वर्ष 2004–2005 की भांति मदिरा के विक्रय मूल्य के परिपेक्ष्य में अवांछनीय प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जायेगा। अवांछनीय प्रतिस्पर्धा की स्थिति में अनुज्ञापन निरस्त किया जा सकेगा।

12. **विदेशी मदिरा के थोक (एफ0एल0–2) अनुज्ञापन**–वित्तीय वर्ष 2004–2005 की भांति वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिए विदेशी मदिरा के थोक (एफ0एफ0–2) अनुज्ञापन गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल विकास निगमों द्वारा आवेदन करने पर उन्हें पूर्ववत दिये जायेंगे।

वित्तीय वर्ष 2005–2006 में गढ़वाल मण्डल में गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमायूँ मण्डल में कुमायूं मण्डल विकास निगम के साथ–साथ दोनों मण्डलों के जनपदों में और पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 को भी आवेदन करने पर

एफ0एल0–2 अनुज्ञापन प्रदान किया जायेगा तथा एफ0एल0–2 के स्तर पर लिया जाने वाला लाभांश गत वर्ष आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

13. **गढ़वाल मण्डल मे पांच जनपदों में देशी मदिरा की दुकानों का संचालन**–गढ़वाल मण्डल के पांच जनपदों पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी व रूद्रप्रयाग में वित्तीय वर्ष 2004–2005 की भांति केवल विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें ही संचालित की जायेंगी। इन जनपदों में फुटकर दुकानों से विदेशी मदिरा की परमिट की व्यवस्था, जो लागू हो, उसे समाप्त कर दिया जायेगा।

14. **जनपदों में दुकानों का स्थान परिवर्तन**–जिलाधिकारियों द्वारा दुकान रहित स्थानों में स्वविवेकानुसार दुकान खोलने के निर्णय लिये जा सकेंगे परन्तु दुकानों को खोलने से पूर्व दुकान का राजस्व एवं दुकान खोलने के आधार सहित आबकारी आयुक्त का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। स्थान परिवर्तन की जाने वाली दुकानों का राजस्व जनपद की अन्य दुकानों के राजस्व के अतिरिक्त होगा।

15. जनपदों में देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों को बन्द करने के सम्बन्ध में भी जिलाधिकारी जनपद की आवश्यकतानुसार स्वविवेकानुसार निर्णय ले सकेंगे। ऐसी स्थिति में न तो सम्बन्धित जनपद का आबंटित राजस्व कम होगा और न ही क्षेत्र दुकान रहित होगा। जनपद की सीमान्तर्गत दुकान किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतिरत किया जाना अपेक्षित हो तो इस सम्बन्ध में भी जिलाधिकारी स्वविवेकानुसार आबकारी अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्णय ले सकेंगे परन्तु ऐसी स्थिति में किसी दुकान के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा कोई क्षेत्र दुकान रहित जोन नहीं हो सकेगा।

16. **बार एवं क्लब बार लाईसेंस**–बार अनुज्ञापन के फलस्वरूप दी जाने वाली विदेशी मदिरा की निकासी पर ड्यूटी की दर एफ0एल0–5डी हेतु निर्धारित ड्यूटी की दर के अनुरूप होगी। होटल एवं रेस्त्राओं के अलावा गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमायूं मण्डल विकास निगम के पर्यटक आवास गृहों द्वारा मांग किये जाने पर बार

लाईसेंस निर्गत किये जा सकेंगे। अनुज्ञापन से सम्बन्धित अन्य व्यवस्था एवं शर्तें वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुरूप यथावत रहेंगी।

17. **बियर बार लाइसेंस**–बियर बार लाईसेंस स्वीकृत किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2004–2005 की नीतियों का अनुसरण पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से, उन होटलों एवं रेस्त्राओं, जिनकी विगत तीन वर्षों में पके हुए भोजन की बिक्री 3.00 लाख रूपये (तीन लाख रूपये) वार्षिक या उससे अधिक रही हो, उन्हें रूपये 30,000.00 (रूपये तीस हजार) प्रति वर्ष की दर से अनुज्ञापन शुल्क के आधार पर बियर बार लाईसेंस स्वीकृत किये जा सकेंगे। इस अनुज्ञापन के अन्तर्गत वह केवल बियर की बिक्री के पात्र होंगे।

सीजनल पर्यटक स्थलों के लिए छः माह की अवधि के लिए भी लाईसेंस दिये जा सकेंगे एवं सीजनल बियर बारों हेतु लाईसेंस फी, बियर बार हेतु निर्धारित लाईसेंस फीस की आधी, अर्थात रू0 15,000.00 (पन्द्रह हजार रूपये मात्र) होगी।

बड़े व्यावसायिक होटलों को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे होटल एवं रेस्त्राओं को भी बियर बार लाईसेंस देने पर विचार किया जायेगा। यदि आवेदन किये जाने वाले वर्ष में आवेदन किये जाने की तिथि तक उनके होटल/रेस्त्रां में पके हुए भोजन की बिक्री रू0 3.00 लाख अथवा उससे अधिक हो।

18. **आसवनियों, बॉटलिंग प्लान्ट, ब्रुअरी, बिन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना**–आसवनियों, बॉटलिंग, ब्रुअरी, बिन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुरूप निम्न व्यवस्था रखी जायेगी।

(क) आसवनियों की स्थापना हेतु अनुज्ञापन देने पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ख) बाटलिंग प्लान्ट लगाने के लिए पूर्व वर्ष की नीति के अनुरूप इस व्यवसाय में पूर्व से ही प्रतिष्ठित एवं ख्यातिप्राप्त निर्माताओं से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

(ग) ब्रुअरी, बिन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना हेतु पूर्व वित्तीय वर्ष के अनुरूप लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा।

19. **गैसोहोल/इथेनॉल प्लान्ट**—आसवनी की आवश्यकता को देखते हुए एवं उत्तरांचल शीरा डेफिसिट राज्य होने के कारण गैसोहोल/इथेनॉल प्लान्ट स्थापित करने हेतु अनुमति नहीं दी जायेगी।

20. देशी एवं विदेशी मदिरा की बोतलों पर वर्तमान में होलोग्राम लगाये जाने की व्यवस्था यथावत् रखी जायेगी।

21. देशी मदिरा की शत प्रतिशत भराई वर्ष 2004–2005 के अनुरूप कॉच की नई बोतलों में ही की जायेगी। पोली पाऊचों में देशी मदिरा की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।

22. देशी मदिरा की वर्तमान आबंटन क्षेत्र को वर्ष 2004–2005 के अनुरूप रखा जायेगा।

23. विदेशी मदिरा एवं बियर की पोली पाऊचों/प्लास्टिक की बोतलों में बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध उत्तरांचल राज्य में स्थित सैन्य कैन्टीनों पर भी लागू रहेगा।

24. भांग के अनुज्ञापन में वर्ष 2002–2003 की नीति को यथावत् रखा जायेगा।

25. बार एवं क्लब बारों को छोड़कर अन्य लाईसेंस फीस में भी 15 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी तथा चार सितारा होटलों के लिए बार की लाइसेंस फीस रू0 4.00 लाख रखी जायेगी एवं पांच सितारा होटलों हेतु बार/क्लब बारों की फीस वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुरूप रहेगी।

26. 1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक दुकान खोलने के समय में एक घण्टे की वृद्धि कर दी जायेगी।

27. अन्य व्यवस्थायें, विगत वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुरूप यथावत् रहेंगी।

28. उपरोक्त के कियान्वयन हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा आवश्यकतानुसार शासन के अनुमोदन से संशोधित नियम उपबंधित किये जायेंगे।

(बी0सी0 चन्दोला)
सचिव

संख्या: 314(1)/XXIII/2005/09/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव, मा0 आबकारी मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव को अपर मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
6. आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
7. व्यापार कर आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
9. आयुक्त कुमायूं मण्डल/गढ़वाल मण्डल।
10. गोपन अनुभाग, उत्तरांचल शासन
11. संयुक्त निदेशक राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया इसे गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

संख्याः10358–83 / सात लाइसेंस–व्यवस्थापन / 2005–06

प्रेषक,

बी0सी0 चन्दोला
आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल, देहरादून।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी
उत्तरांचल।
2. समस्त जिला आबकारी अधिकारी
उत्तरांचल।

देहरादूनःदिनांकःमार्च 3, 2005

विषयः वर्ष 2005–06 के आबकारी नीति घोषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उत्तरांचल शासन के आबकारी विभाग की अधिसूचना संख्या 314 / XXII / 2005 / 09 / 2005 दिनांक 3–3–2005 द्वारा घोषित वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए आबकारी नीति का निर्धारण किया जा चुका है जिसकी छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। घोषित नीति के अनुसार दिनांक 1–4–2005 से 31–3–2006 देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दकानों का व्यवस्थापन किया जाना है।

उपरोक्तानुसार दुकानवार राजस्व निर्धारित करने के पश्चात देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों के दिनांक 1.4.2005 से 31.3.2006 तक के व्यवस्थापन के लिए निम्न प्रकार व्यवस्थापन किया जायेगाः–

1. **प्रथम चरण**–व्यापक प्रचार–प्रसार करके 'निर्धारित राजस्व' पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। आवेदन पत्र दिनांक 9–3–2005 से 11–3–2005 तक तक कार्यालय दिवसों में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर दिनांक 14–3–2005 को जिलाधिकारी के समक्ष संबंधित जिला कलेक्ट्रेट परिसर में दुकानों का आबंटन किया जायेगा। 'निर्धारित राजस्व' पर यदि एक दुकान के लिए एक ही आवेदन पत्र प्राप्त हो, उस आवेदक को दुकान आबंटित कर दी जायेगी तथा एक

से अधिक आवेदकों की दशा में दुकानों का आबंटन लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।

2. **द्वितीय चरण**—जो दुकानें दिनांक 14—3—2005 के आबंटन में व्यवस्थापित नहीं हो पायेगी उनकी सूची दिनांक 16—3—2005 को सम्बन्धित जिला कलेक्ट्रेट एवं जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी। सूची में अंकित उन दुकानों के व्यवस्थापन हेतु पुनः व्यापक प्रचार—प्रसार करके आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाय। आवेदन पत्र दिनांक 17—3—2005 व 18—3—2005 को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे तथा उपरोक्त प्रथम चरण की प्रक्रियानुसार दिनांक 20—3—2005 को आबंटन किया जायेगा।

3. **तृतीय चरण**—जो दुकानें दिनांक 20—3—2005 के आबंटन में भी व्यवस्थापित नहीं हो पायेगी। उनके व्यवस्थापन हेतु पुनः व्यापार प्रचार—प्रसार करके दिनांक 22—3—2005 को प्रातः 10 बजे से सायंकाल 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित करके प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 23—3—2005 को आबंटित किया जाय।

प्रत्येक चरण की समाप्ति के पश्चात् आबंटन की पूर्ण स्थिति क्रमशः दिनांक 15—3—2005, 21—3—2005 एवं 24—3—2005 की सायं 5.00 बजे तक अपर आबकारी आयुक्त आबकारी मुख्यालय देहरादून को फैक्स सं0 0135—2608087 पर भेजना सुनिश्चित किया जाये।

आवेदकों की पात्रता की शर्तें एवं दुकान आबंटन प्रक्रिया संलग्न प्रपत्र/के अनुसार रहेगी। आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु समुचित प्रचार/प्रसार किया जाये एवं प्रचार विख्यात समाचार पत्रों के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नः
(1) वित्तीय वर्ष 2005—06 हेतु घोषित आबकारी नीति की प्रति।
(2) वित्तीय वर्ष 205—06 में देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन हेतु आवश्यक सूचना राजस्व निर्धारण, पात्रता की शर्तें तथा आबंटन की प्रक्रिया संबंधी निर्देश।

(3) देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन दे0म0 5ग हेतु आवेदन पत्र एवं विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन वि0म0–5घ हेतु आवेदन पत्र के प्रारूप।

(4) देशी मदिरा/विदेशी मदिरा एवं बियर के फुटकर लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र।

भवदीय

बी0सी0 चंदोला
आबकारी आयुक्त

संख्याः10384/सात–लाइसेंस–व्यवस्थापन/2004–05 तद्दिनांक
प्रतिलिपिः सचिव, आबकारी विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून को शासनादेश संख्या के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

धीरेन्द्र वर्मा
अपर आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल, देहरादून।

संख्या:10385–86 / सात लाइसेंस (30)–व्यवस्थापन / दे0–वि0म0 / 2005–06

प्रेषक,

बी0सी0 चन्दोला
आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल, देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तरांचल।

देहरादून:दिनांक:मार्च 3, 2005

विषयः वर्ष 2005–06 हेतु देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन के संबंध में सामान्य निर्देश।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या:10358–83 / सात लाईसेंस–व्यवस्थापन / 2005–06 / दिनांक 3 मार्च, 2005 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ संलग्न करके वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए शासन द्वारा घोषित आबकारी नीति एवं तद्क्रम में दुकानों के व्यवस्थापन संबंधी शासनादेश आबकारी आयुक्त की व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशों, आवेदकों द्वारा दिये जाने वाले आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र का प्रारूप आपको उपलब्ध कराया जा चुका है। देशी एवं विदेशी मदिरा के दुकानों के 01.04.2005 से 31.3.2006 तक के लिए व्यवस्थापन के संबंध में सामान्य निर्देश निम्नवत् दिये जा रहे हैं:–

1. वर्ष 2005–06 के लिए घोषित आबकारी नीति के अन्तर्गत देशी मदिरा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन जैसा कि अधिसूचना संख्या 314 दिनांक 3 मार्च, 2005 की मद सं0 1 से 3 में स्पष्ट किया गया है, लाइसेंस फीस एवं अधिभार (न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी) की राशि के आधार पर दुकान के राजस्व का निर्धारण विहित प्रक्रिया के अनुरूप निर्धारित किया जाना है। राजस्व निर्धारण में पर्याप्त सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है। जिला आबकारी अधिकारी प्रत्येक दुकान के

अनुज्ञापन शुल्क, अधिभार (न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी) एवं राजस्व का निर्धारण कर आपसे अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

2. उपरोक्त प्रस्तर 1 के अनुसार जनपद की देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानवार निर्धारित लाइसेंस फीस एवं अधिभार (न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी) की सूची जिला आबकारी अधिकारी तथा कलेक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु लगाई जायेगी।

3. आवेदन पत्र, शपथ पत्र व धरोहर धनराशि जो वार्षिक लाइसेन्स फीस का 10 प्रतिशत होगी जो बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर के साथ निर्धारित तिथियों (प्रथम चरण के आबंटन के लिए दिनांक 9–3–2003 से 11–3–2005, द्वितीय चरण के लिए दिनांक 17–3–2005 व 18–3–2005 था तृतीय चरण के आबंटन के लिए दिनांक 22–3–2005) में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में आवेदक जमा करेंगे।

4. दुकानों के लिए आबंटन हेतु निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने होंगे, जो जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से भी आवेदन शुल्क के रूप में रू0 200.00 कैश या रूपये 200.00 का जिला आबकारी अधिकारी के नाम बैंक ड्राफ्ट जमा करके प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदकों द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित निर्धारित प्रारूप में भी आवेदन किया जा सकेगा परन्तु ऐसे आवेदन पत्रों को जमा करते समय रू0 200.00 आवेदन शुल्क के रूप में जमा करना होगा जिसकी प्राप्ति रसीद जिला आबकारी अधिकारी से भी प्राप्त की जायेगी।

5. आवेदन पत्र के साथ आवेदित दुकान हेतु जिला आबकारी अधिकारी अथवा आबकारी आयुक्त के नाम निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर संलग्न करना अनिवार्य होगा। दुकान आबंटित हो जाने की दशा में यह धनराशि आवेदक द्वारा देय लाइसेंस फीस व प्रतिभूति की धनराशि में समायोजित होगी। असफल आवेदकों को धरोहर धनराशि वापस कर दी जायेगी।

6. आवेदन पत्र के साथ प्रत्येक आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में, जो जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है, पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र फोटो सहित दिया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा शपथ पत्र में उल्लिखित शर्तों का निर्धारित समय सीमा में पालन किया जाना आवश्यक होगा।

7. भांग की फुटकर बिक्री के किसी अनुज्ञापन का व्यवस्थापन नहीं किया जायेगा।

8. देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों का उपरोक्तानुसार राजस्व निर्धारित करके प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार करने के उपरान्त प्रत्येक दुकान के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन पत्र गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल विकास निगम पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियां, सहकारी संस्थाओं तथा निजी अनुज्ञापियों से प्राप्त किये जायेंगे। प्रत्येक दुकान के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को एक पंजिका में पंजीकृत किया जायेगा। पंजिका के पंजीयन संख्या को आवेदन पत्र की रसीद में अंकित करते हुए आवेदक को यह रसीद उपलब्ध करा दी जायेगी तथा इन मूल रसीदों को पहचान पत्र मानकर आवेदक को लाटरी के लिए निर्धारित हाल/पंडाल में प्रवेश की अनुमति दी जा सकेगी।

9. गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल विकास निगम, पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों तथा सहकारी संस्थाओं को छोड़कर उपरोक्त प्रक्रिया में निजी अनुज्ञापी को देशी अथवा विदेशी मदिरा की जनपद में एक ही दुकान आबंटित की जायेगी।

10. जिला आबकारी अधिकारी प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की दुकानवार सूची तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण किया जायेगा। यदि आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से वांछनीय कोई अभिलेख आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है तो जिलाधिकारी द्वारा विवेक सम्मत निर्णय लेते हुए आवेदन पत्र को निरस्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

11. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आबंटन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें जिला आबकारी अधिकारी एवं अन्य वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी जिसे जिलाधिकारी नामित करेंगे, की समिति गठित कर ली जायेगी, जो कि प्राप्त आवेदन पत्रों को, उनके समुचित परीक्षण एवं दुकानों के नियमानुसार व्यवस्थापन के लिए उत्तरदायी होगी। जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य की सूचना फैक्स के द्वारा आबकारी आयुक्त को दी जायेगी।

12. यदि किसी दुकान के लिए निर्धारित राजस्व पर एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो दुकान के आबंटन के लिए सार्वजनिक लाटरी से अनुज्ञापी का चयन किया जायेगा।

13. लाटरी के जिला मुख्यालय पर किसी बड़े हाल की व्यवस्था की जाये यदि कोई हाल उपलब्ध न हो तो खुले मैदान में पंडाल लगवाकर लाटरी निकालने की व्यवस्था की जाये। लाटरी हेतु प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की दुकानवार सूचियां, सम्बन्धित दुकान को आबंटित क्रमांक, प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या व आवेदकों के नाम आदि का जानकारी निष्पादन स्थल के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी तथा उन्हें सार्वजनिक रूप से माईक पर उद्घोषित भी किया जायेगा। लाटरी निकाले जाने सम्बन्धी कार्यवाही सभागार/पंडाल में कुछ ऊंचाई पर मंच बनाकर इस प्रकार सम्पादित की जायेगी कि पंडाल में उपस्थित सभी व्यक्ति लाटरी की कार्यवाही को भली भांति देख सकें, जिसमें लाटरी की कार्यवाही में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे।

14. दुकानों की लाटरी पहले विदेशी मदिरा से आरम्भ होगी। सबसे पहले अधिकतम वार्षिक राजस्व वाली दुकान के लिए लाटरी निकाली जायेगी और उसके बाद राजस्व के अवरोही क्रम (descending order) में यह विधि जारी रखी जायेगी। विदेशी मदिरा की दुकानों के लिए लाटरी सम्पन्न होने के बाद देशी मदिरा की दुकानों के लिए लाटरी आरम्भ की जायेगी और इसमें भी अधिकतम राजस्व वाली दुकानों से आरम्भ कर अवरोही क्रम में दुकानों की लाटरी निकाली जायेगी।

15. लाटरी निकाले जाने के लिए जिला आबकारी अधिकारी द्वारा 5x5 सेन्टीमीटर लम्बाई चौड़ाई की एक ही तरह की कागज की पर्चियां कम्प्यूटर से छपवाकर तैयार की जायेगी। इस पर्ची पर जिले की देशी व विदेशी मदिरा की दुकानों के लिए प्राप्त आवेदन पत्र की पंजीयन संख्या लिखी जायेगी तथा दुकान व आवेदक का नाम भी अंकित किया जायेगा। इन पर्चियों पर जिलाधिकारी द्वारा नामित किसी वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी व जिला आबकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। जिलाधिकारी किसी एक दुकान के लिए सभी आवदकों की पर्चियों के लिखे भाग को अन्दर की ओर रखते हुए समान रूप से अलग–अलग मोड़कर किसी पारदर्शी पात्र में भली–भांति मिलाकर एक पर्ची पंडाल में उपस्थित किसी एक आवेदक से निकलवायेंगे। यह पर्ची सार्वजनिक रूप से खोलकर सभी उपस्थित व्यक्तियों को दिखाई जायेगी। लाटरी में चयनित व्यक्ति की पर्ची को एक पंजी जिसमें दुकान का अन्य विवरण पहले से अंकित होगा के समक्ष चस्पा किया जायेगा एवं पर्ची व पंजी पर चयनित व्यक्ति के हस्ताक्षर भी करवाये जायेंगे। जिस व्यक्ति के नाम पर्ची खुलेगी उनके लिए भी मौके पर ही इस आशय का एक आदेश भी निर्गत किया जायेगा कि अमुक दुकान की लाटरी उसके नाम निकली है। सफल आवेदक से मौके पर ही निर्धारित अनुज्ञापन की फीस की समस्त धनराशि को तत्काल जमा करवाया जायेगा। प्रतिभूति धनराशि की 50 प्रतिशत राशि सात दिन के भीतर एवं अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि के बराबर कैश अथवा बैंक गारण्टी दुकान आबंटन की तिथि से तीस दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से नियमानुसार जमा कर ली जाये। प्रतिभूति की यह धनराशि राजकोष में अथवा किसी भी अधिसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट, जो जिला आबकारी अधिकारी/आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल को देय हो, के द्वारा जमा करायी जायेगी।

16. यदि चयनित आवेदक नियमानुसार आवश्यक लाइसेंस फीस की धनराशि तत्काल जमा नहीं करता/निर्धारित औपचारिकताएं पूरी नहीं करता अथवा दुकान के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने में असफल रहता है तो उसका चयन निरस्त समझा जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि राज्य के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी तथा लाइसेंसिग

प्राधिकारी आबंटन निरस्त कर दुकान के पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

17. दुकानों के व्यवस्थापन की कार्यवाही 31–3–2005 तक इस प्रकार पूर्ण करा ली जाय ताकि दुकानों का संचालन 01–4–2005 से प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जा सके। दुकानवार व्यवस्थापन दौरान पारदर्शिता की दृष्टि से दुकान विशेष के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण अनुज्ञापन स्वीकृत तथा लाटरी की दशा में आवेदकों के नाम/संख्या जिनके मध्य लाटरी की जा रही है, आदि सूचनायें मौके पर ही ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से उद्घोषित की जायें और प्रत्येक अगली दुकान के सम्बन्ध में ये औपचारिकतायें पूर्ण करने से पूर्व पिछली कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जाने वाली समस्त जिज्ञासाओं का अवश्य समाधान कर दिया जाये।

18. आवेदक/अनुज्ञापी को यह स्पष्ट कर दिया जाये कि उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अथवा शपथ पत्र उल्लिखित कोई भी तथ्य अथवा सूचना असत्य पाये जाने पर उसका प्रार्थना पत्र निरस्त किया जा सकता है व धरोहर धनराशि राज्य के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

19. अपने जनपद के बकायेदारों की सूची बना ली जाये। अन्य जनपदों से प्राप्त आबकारी राजस्व के बकायेदारों की सूची अलग से प्रेषित की जा रही है। यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि किसी बकायेदार को अनुज्ञापन न दिया जाये।

20. दुकानों के व्यवस्थापन के उपरान्त व्यवस्थापित तथा अव्यवस्थापित दुकानों का वितरण प्रत्येक चरण की समाप्ति के अगले दिन निर्धारित प्रारूप में भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय तथा व्यवस्थापन की प्रक्रिया में विवर्जित किये गये व्यक्तियों का विवरण भी निर्धारित प्रारूप में भेजा जाना सुनिश्चित किया जाये।

21. दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल, डांडा लखौंड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जहां पर अपर आबकारी आयुक्त/संयुक्त आबकारी आयुक्त, मुख्यालय एवं उप आबकारी

आयुक्त से यथावश्यक निर्देश/सूचनायें/जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नम्बर 2608087, 2608091 तथा फैक्स नम्बर 2608087 है।

शासन की आबकारी नीति को सफल बनाने हेतु आप कृपया अपने नेतृत्व में देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन सफलतापूर्वक निर्धारित समय के अन्तर्गत सम्पादित कराने का कष्ट करें।

लाटरी पर्ची का प्रारूप

साईज 5x5 से0मी0

दे0/वि0म0 की दु0 का नाम ....

आवेदन पत्र की पंजीयन संख्या....................................

आवेदक का नाम ....

हस्ताक्षर — हस्ताक्षर

जि0आब0अधि0 — नामित अधिकारी

भवदीय,

(बी0सी0 चन्दोला)
आबकारी आयुक्त

संख्या:315 / XXIII / 2005 / 09 / 2005

प्रेषक,

बी0 सी0 चन्दोला
सचिव,
उत्तराचंल देहरादून।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल।

आबकारी अनुभाग देहरादून दिनांक मार्च 3, 2005

विषयः वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए आबकारी नीति का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आबकारी विभाग उत्तराचंल शासन की अधिसूचना संख्या 314 / XXIII / 09 / 2005 / दिनांक 3.3.2005 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिये आबकारी नीति निर्गत कर दी गयी है जिसकी प्रतिलिपि इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया शासन द्वारा निर्धारित आबकारी नीति का क्रियान्वयन कराया जाना सुनिश्चित करें।

इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005–2006 हेतु देशी / विदेशी मदिरा एवं बियर की दुकानों का व्यवस्थापन करने की कार्यवाही इस प्रकार सुनिश्चित करायी जाये कि व्यवस्थापन के फलस्वरूप देशी / विदेशी मदिरा की सभी दुकानें दिनांक 1 अप्रैल 2005 से संचालित हो जाये। देशी / विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है:–

1. **प्रथम चरण**– आवेदन पत्र दिनांक 9–3–2005 से 11–3–2005 तक तक कार्यालय दिवसों में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर दिनांक 14–3–2005 को जिलाधिकारी के समक्ष संबंधित जिला कलेक्ट्रेट परिसर में दुकानों का आबंटन किया जायेगा। 'निर्धारित राजस्व' पर यदि एक दुकान के लिए एक ही

आवेदन पत्र प्राप्त हो, उस आवेदक को दुकान आबंटित कर दी जायेगी तथा एक से अधिक आवेदकों की दशा में दुकानों का आबंटन लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।

2. **द्वितीय चरण**—जो दुकानें दिनांक 14—3—2005 के आबंटन में व्यवस्थापित नहीं हो पायेगी उनकी सूची दिनांक 16—3—2005 को सम्बन्धित जिला कलेक्ट्रेट एवं जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी। सूची में अंकित उन दुकानों के व्यवस्थापन हेतु पुनः व्यापक प्रचार—प्रसार करके आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाय। आवेदन पत्र दिनांक 17—3—2005 व 18—3—2005 को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे तथा उपरोक्त प्रथम चरण की प्रक्रियानुसार दिनांक 20—3—2005 को आबंटन किया जायेगा।
3. **तृतीय चरण**—जो दुकानें दिनांक 20—3—2005 के आबंटन में भी व्यवस्थापित नहीं हो पायेगी। उनके व्यवस्थापन हेतु पुनः व्यापार प्रचार—प्रसार करके दिनांक 22—3—2005 को प्रातः 10 बजे से सायंकाल 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित करके प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 23—3—2005 को आबंटित किया जायेगा।।

कृपया वित्तीय वर्ष 2005—2006 के लिए आबकारी नीति के अनुसार देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों को व्यवस्थापित करने के साथ—साथ अन्य सभी निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नः अधिसूचना की प्रति।

(बी0सी0 चन्दोला)
सचिव

संख्या:315(1)/XXIII/2005/09/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव, मा0 आबकारी मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव को अपर मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।

5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊं मण्डल।
7. व्यापार कर आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
9. गोपन अनुभाग, उत्तरांचल शासन।

आज्ञा से

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव

टैक्स स्ट्रक्चर वर्ष 2005–06

विभिन्न मादक पदार्थो के थोक एवं फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के लिए वर्ष 2005–06 की उत्तरांचल प्रदेश की लाईसेंसिंग प्रणाली के अन्तर्गत अनुज्ञापन शुल्क, अभिकर, निर्यात, आयात, एसेस्ड फीस का संक्षिप्त विवरणः–

क्रमांक	मादक पदार्थ का नाम	लाइसेंस के प्रकार	लाइसेंस फीस की दर
1	2	3	4
1.	देशी मदिरा थोक बिक्री प्रणाली	**थोक देषी मदिरा सप्लाई के सी0एल0–1 लाइसेंस।**	
		(क)10 लाख ब0ली0 तक देशी मदिरा सप्लाई वाले जनपद।	रू0 3,76,417/–
		(ख)10 लाख से अधिक किन्तु 20 लाख ब0ली0 तक देशी मदिरा सप्लाई वाले जनपद।	रू0 7,52,834/–
		(ग) 20 लाख से अधिक किन्तु 40 लाख ब0ली0 तक देशी मदिरा सप्लाई वाले जनपद।	रू0 12,54,723/–
		(घ) 40 लाख से अधिक किन्तु 60 लाख ब0ली0 तक देशी मदिरा सप्लाई वाले जनपद।	रू0 16,72,963/–
		(ड.) 60 लाख से अधिक किन्तु 80 लाख ब0ली0 तक देशी मदिरा सप्लाई वाले जनपद।	रू0 20,91,204/–
.	विदेशी मदिरा थोक बिक्री प्रणाली	1. बी0डब्लू0एफ0एल0–2 (बाण्ड) (विदेशी मदिराएवं बियर) प्रदेश के बाहर की आसवनियों के लिए	रू0 3,34,593/– (तीन लाख चौतीस हजार पांच सौ तिरानबें रूपये) प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए।
		2. बी0डब्लू0एफ0एल0–2बी (बाण्ड)(केवल बियर) प्रदेश के बाहर की ब्रिवरीज के लिए	रू0 1,67,297/– (एक लाख सड़सठ हजार दो सौ सत्तानवे रूपये) वर्ष या वर्ष के भाग के लिए।
		3. एफ0एल0–1 (प्रदेश की आसवनियों को स्वयं निर्मित विदेशी मदिरा एवं बियर एफ0एल0–2 को बेचने हेतु देय लाइसेंस)	रू0 83,649/– (तिरासी हजार छः सौ उनपचास रूपये) वर्ष या वर्ष के भाग के लिए।

		4. एफ0एल0–2(डियुटी पेड विदेशी मदिरा एवं बियर की थोक बिक्री लाइसेंस)	वार्षिक या वर्ष के किसी भाग के लिए
		1. देहरादून	रू0 25,09,444/–
		2. पौड़ीगढ़वाल	रू0 25,09,444/–
		3. टिहरीगढ़वाल	रू0 20,49,380/–
		4. उत्तरकाशी	रू0 12,12,898/–
		5. चमोली	रू0 12,12,898/–
		6. रूद्रप्रयाग	रू0 7,52,834/–
		7. नैनीताल	रू0 25,09,444/–
		8. ऊधमसिंहनगर	रू0 25,09,444/–
		9. अल्मोड़ा	रू0 20,49,380/–
		10. पिथौरागढ़	रू0 12,12,898/–
		11. बागेश्वर	रू0 12,12,898/–
		12. चम्पावत	रू0 12,12,898/–
		13. हरिद्वार	रू0 25,09,444/–
		5.एफ0एल0–2बी (केवल डियुटी पेड बियर की थोक बिक्री लाइसेंस)	रू0 8,36,482/– प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए
		6. एफ0एल0–2ए (सैन्य इकाईयों को मदिरा एवं बियर की सप्लाई हेतु थोक बिक्री लाइसेंस	रू0 3,307/– प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए
3. पी0डी0–2 अनुज्ञापन (आसवनी में स्प्रिट के उत्पादन हेतु दिया जाने वाला अनुज्ञापन)			रू0 25.0953 प्रति किलोलीटर
4. एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन (विदेशी मदिरा की बोतल भराई इकाई को दिया जाने वाला अनुज्ञापन)			
प्रतिवर्ष 15 लाख मानक बोतलों से कम भराई तक।			रू0 8,36,482/–वर्ष या वर्ष के भाग हेतु
प्रति वर्ष 15 लाख से अधिक परन्तु 20 लाख से कम बोतलों की भराई हेतु ।			रू0 16,72,963/– वर्ष या वर्ष के भाग हेतु
प्रतिवर्ष 20 लाख से अधिक परन्तु 50 लाख तक बोतलों की भराई हेतु ।			रू0 25,09,444/– वर्ष या वर्ष के भाग हेतु
5 (अ) होटल एंण्ड रेस्टोरेन्ट बार			
(1) तीन सितारा होटलों तक ।			2,00,000/– रूपये प्रतिवर्ष या वर्ष के भाग के लिए ।
(2) चार सितारा होटलों में स्थित बार ।			4,00,000/–रूपये वर्ष या वर्ष के भाग के लिए।
(3) पांच सितारा होटलों में स्थित बार ।			5,00,000/– रू0 प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए

(4)सीजनल पर्यटकों हेतु छः माह के लिये दिये जाने वाले बार लाइसेंस तीन सितारा होटलों तक के स्तर के लिए ।	1,00,000/— रू0 प्रति सीजन अधिकतम छः माह हेतु ।
5 (ब) बियर बार अनुज्ञापन	
(1) बियर बार अनुज्ञापन	30,000/—रू0 प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए
(2)सीजनल पर्यटकों हेतु छः माह के लिये जाने वाले बियर बार लाइसेंस	15,000/—रू0प्रति सीजन अधिकतम छः माह हेतु ।
6. अन्य मिसलेनियस लाइसेसों हेतु भी लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त की जायेगी ।	
7. क्लबबार परमिट	
(1) ऐसे क्लब जहां सदस्यों की संख्या 100 तक हो ।	60,500/— रू0 प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए
(2) ऐसे क्लब जहां सदस्यों की संख्या 101 से 500 तक हो	90,750/— रू0 प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए ।
(3) ऐसे क्लब जहॉ सदस्यों की संख्या 500 से अधिक हो	1,21,000/—रू0 प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए

बार व क्लब बार परमिट पर प्राप्त की जाने वाली विदेशी मदिरा पर देय परमिट फीस	(अ) एफ0एल0—5डी पर देय प्रति बोतल न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के समान ली जायेगी (20,000 बोतल वार्षिक की सीमा तक) (ब) 20000 बोतल वार्षिक की सीमा से अधिक प्रत्येक 10 प्रतिशत वृद्धि पर बोतलों की बिक्री पर रू0 5/— प्रति बोतल की बढ़ी दर से ।

7 अभिकर की दरें	
1.विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की अभिकर की दर।	55.00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर ।
2. बियर (5 प्रतिशत तक अल्कोहल तीव्रता वाली) की अभिकर की दर	11.55 रू0 प्रति लीटर
3. बियर (5 प्रतिशत से अधिक परन्तु 8 प्रतिशत तक अल्कोहल तीव्रता वाली) की अभिकर की दर	23.10 रू0 प्रति लीटर
4.सैन्य कैन्टीन को दी जाने वाली रियायती रम	45.00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर ।
5. भारतीय सेना एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस को दी जाने वाली रम—उत्तरांचल राज्य के भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में तैनात भारतीय सैनिकों एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस को प्रतिवर्ष दी जाने वाली कमशः 1,80,180 लीटर एवं 41,168 लीटर की सीमा तक रम ।	शासकीय अधिसूचना संख्या 27/आब/2002/दिनांक 14.1.2002 के द्वारा इस सीमा तक रम अभिकर मुक्त कर दी गयी है ।
8. एसेस्मेंट शुल्क की दरें एफ0एल0—9/9एः— निश्चित लाइसेंस फीस 92/—रू0 प्रति लाईसेंस वार्षिक देय होगी व विदेशी मदिरा, रियायती रम तथा बियर की बिक्री पर निम्नानुसार एसेसमेंट फीस देय होगी	

1. विदेशी मदिरा (व्हिस्की, ब्राण्डी एवं जिन)	32.00 रू0 प्रति बोतल
2. रियायती रम	20.00 रू0 प्रति बोतल
3. बियर (5 प्रतिशत एल्कोहल तीव्रता तक)	2.00 रू0 प्रति बोतल
4. बियर (5 प्रतिशत से अधिक परन्तु 8 प्रतिशत तक एःल्कोहल तीव्रता वाली)	3.00 रू0 प्रति बोतल
9. आयात की दरें:–	
1. विदेशी मदिरा (बोतलों में)	5.00 रू0 प्रति बोतल
2. विदेशी मदिरा (ब0ली0 में)	2.00 रू0 प्रति अल्कोहल ली0
3. बियर	1.00 रू0 प्रति बोतल
4. माल्ट स्प्रिट	2.00 रू0 प्रति अल्कोहल ली0
5. रेक्टिफाईड स्प्रिट	1.00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर
6. विकृत सुरा/विशेष विकृत सुरा (अ)उत्तराचंल स्थित औद्योगिक रासायनिक इकाईयों द्वारा विशेषतः विकृत स्प्रिट (एस0डी0एस0) व विकृत स्प्रिट (डी0एस0) आयात किये जाने पर।(Hospitals, Dispensaries and other charitable and educational institutionsa के लिए भी छूट पूर्ववत जारी रहेगी।) (ब)थोक व फुटकर विकेताओं तथा प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा विशेषतः विकृत स्प्रिट (एस0डी0एस0) व विकृत स्प्रिट (डी0एस0) आयात किये जाने पर ।	शून्य। रू0 1.10/– (रूपये एक एवं दस पैसे मात्र) प्रति ब0ली0
10. निर्यात फीस की दरें	
1. शोधित आसव (पेय मदिरा अथवा औद्योगिक प्रयोजनार्थ)	2.25 रू0 प्रति बल्कलीटर ।
2. ई0एन0ए0	2.50 रू0 प्रति बल्कलीटर
3. विकृत सुरा (औद्योगिक प्रयोजनार्थ)	0.50 रू0 प्रति बल्कलीटर
4. देशी मदिरा	4.00 रू0 प्रति अल्कोहल ली0
5. विदेशी मदिरा (बोतलों में)	2.67 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर
6. विदेशी मदिरा (ब0ली0 में)	5.00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर
7. बियर	0.50 रू0 प्रति बल्क लीटर
8. माल्ट स्प्रिट	5.00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर
9. भांग	3.00 रू0 प्रति किलोग्राम

11. (अ) विदेशी मदिरा के एक्स डिस्टिलरी मूल्य पर स्लैबवार देय अधिभार/न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी (एफ0एल0–5डी अनुज्ञापी, बार तथा क्लबबार अनुज्ञापी द्वारा देय) जो दिनांक 1.4.2005 से प्रभावी होगी।

एक्स आसवनी मूल्य (प्रति बोतल)	न्यूनतम वार्षिक गारन्टीड राशि में से देय प्रति बोतल अभिकर
20/– रू0 तक	55/– रू0 प्रति बोतल
20.01/– रू0 से 35/– रू0 तक	65/– रू0 प्रति बोतल
35.01/– रू0 से 75/–रू0 तक	80/– रू0 प्रति बोतल
75.01/– रू0 से 150 रू0 तक	100/– रू0 प्रति बोतल
150/– रू0 से अधिक	110/– रू0 प्रति बोतल

एफ0एल0–2 से बियर की निकासी पर न्यूनतम गारन्टीड वार्षिक अभिकर की कोई राशि देय नहीं होगी ।

12. एफ0एल0–3 एवं एफ0एल0–3ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत आसवक को न्यूनतम 1,00,000/– रूपये प्रतिवर्ष की दर से बाटलिंग फीस निम्न दरों पर विदेशी मदिरा की बोतलों की भराई पर देय होगी :–

कमांक	बोतल का प्रकार	एफ0एल0–3 हेतु	एफ0एल0–3ए हेतु
1.	1000मिलीलीटर बोतल	1.00 रू0 प्रति बोतल	1.35 रू0 प्रति बोतल
2.	750मिलीलीटर बोतल	0.75 रू0 प्रति बोतल	1.00 रू0 प्रति बोतल
3.	500मिलीलीटर बोतल	0.55 रू0 प्रति बोतल	0.75 रू0 प्रति बोतल
4.	375 मिलीलीटर अद्धा	0.45 रू0 प्रति अदधा	0.60 रू0 प्रति अद्धा
5.	180मिलीलीटर पौवा	0.30 रू0 प्रति पौवा	0.40 रू0 प्रति पौवा

13.देषी मदिरा पर उत्पाद शुल्क (सी0एल0–5सी अनुज्ञापी द्वारा देय)

देशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क 70/– रूपये प्रति ब0ली0 36 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की देशी शराब पर ।

14. आबकारी मैनुअल खण्ड–1 के भाग–2 के चैप्टर–VIII के सेक्षन–XXV के नियम–12 के अन्तर्गत आसवनी/विदेषी मदिरा की बोतलों की भराई नियमावली, 1969 (यथासंषोधित) के अन्तर्गत ओवर टाईम फीस का निर्धारण निम्नवत हैः–

आबकारी निरीक्षक के लिए	रू0 60.00 प्रति घंटा ।
आबकारी लिपिक/उप आबकारी निरीक्षक	रू0 36.00 प्रति घण्टा
आबकारी सिपाही	रू0 32.00 प्रति घण्टा ।

15.शीरा पर प्रषासनिक शुल्क

1. राज्य की इकाईयों हेतु शीरा की बिकी पर प्रशासनिक शुल्क	रू0 8/– प्रति कुंटल
2. उत्तर प्रदेश की अल्कोहल/शीरा पर आधारित रासायनिक उद्योगों हेतु की गयी शीरा की बिकी पर	रू0 8/– प्रति कुंटल
3. उपरोक्त (2) के अतिरिक्त शीरा के निर्यात पर	रू0 20/–प्रति कुंटल

(धीरेन्द्र वर्मा)
अपर आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल

संख्याः 1399–1448/सात–लाइसेंस(30)/टैक्स स्ट्रक्चर/2005–06 दिनांकःमार्च 18,2005
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषितः–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

2. समस्त आबकारी अधिकारी, उत्तरांचल।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी, बंधित गोदाम/आसवनियां, उत्तरांचल।
4. समस्त प्रभारी अधिकारी, चीनी मिलें, उत्तरांचल।
5. समस्त अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय।
6. गार्ड फाइल।

(धीरेन्द्र वर्मा)
अपर आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल

संख्या 02/एस0टी0/2005–06/देहरादूनःदिनांक 01, अप्रैल 2005

अधिसूचना

आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) (उत्तरांचल में यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित) की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उत्तरांचल (विदेशी शराब एवं बियर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तरांचल आबकारी (विदेशी शराब एवं बियर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (नौवां संशोधन) नियमावली, 2005.

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः–

(i) यह नियमावली उत्तरांचल आबकारी (विदेशी शराब एवं बियर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (नौवां संशोधन) नियमावली, 2005 कही जायेगी ।

(ii) यह 1 अप्रैल 2005 से प्रवृत्त होगी ।

2. उत्तरांचल आबकारी (विदेशी शराब एवं बियर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2001, समय–समय पर यथा संशोधित, के नीचे स्तम्भ–1 में अंकित नियम 7(ग), 8(ञ), 13 व 16 के स्थान पर स्तम्भ–2 में अंकित नियम रखे जायेंगे :–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
7(ग) लाइसेंस प्राप्ति के लिये आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिया जायेंगा जिसे, जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से रू0 100/– कैश अथवा जिला आबकारी अधिकारी को देय बैंक ड्राफ्ट देकर प्राप्त किया जा सकता है ।	7(ग) लाइसेंस प्राप्ति के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिया जायेंगा जिसे, समय–समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से तय किये गये आवेदन फीस/प्रोसेसिंग फीस को कैश अथवा जिला आबकारी अधिकारी को देय बैंक ड्राफ्ट देकर प्राप्त किया जा सकता है । वर्ष 2005–06 हेतु यह फीस 200/–रू0 निर्धारित की गयी है।
8.(ञ) यह कि जिला आबकारी	8. (ञ) यह कि जिला आबकारी

अधिकारी अथवा आबकारी आयुक्त के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक से जारी किया गया बैंक ड्राफ्ट धरोहर धनराशि के रूप में प्रस्तुत करेंगा । धरोहर धनराशि आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेगी। आवेदक के अनुज्ञापी के रूप में चयन हो जाने पर धरोहर धनराशि को अनुज्ञापन फीस में समायोजित कर लिया जायेगा । अन्य मामलों में चयन प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त् इसे उसी रूप में आवेदक को लौटा दिया जायेगा ।	अधिकारी अथवा आबकारी आयुक्त के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक से जारी किया गया बैंक ड्राफ्ट धरोहर धनराशि के रूप में प्रस्तुत करेंगा । धरोहर धनराशि आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेगी। आवेदक के अनुज्ञापी के रूप में चयन हो जाने पर धरोहर धनराशि को अनुज्ञापन फीस में समायोजित कर लिया जायेगा । अन्य मामलों में चयन प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त् इसे उसी रूप में आवेदक को लौटा दिया जायेगा । अनुज्ञापी को दुकान आवंटन के 30 दिन के भीतर अपने जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त ऐसे मूल्य का जो आबकारी आयुक्त द्वारा शासन के निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाये, शोधन क्षमता (सालवेंसी) प्रमाण–पत्र अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अनुज्ञापी को दुकान आवंटन के 30 दिन के भीतर अपने जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र भी अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा ।
13 इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी विदेशी शराब के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर, शुल्क और उपकर, जो समय–समय पर उद्ग्रहीत किए जाए, जमा करने के पश्चात् जिले के किसी थोक लाइसेंसधारी (वि0म0–2) से विदेशी मदिरा की आपूर्ति प्राप्त करेगा ।	13 इस नियमावली के अधीन अनुज्ञापी विदेशी शराब के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर, शुल्क और उपकर, जो समय–समय पर उद्ग्रहीत किए जाए, जमा करने के पश्चात् जिले के किसी थोक अनुज्ञापी (वि0म0–2) से विदेशी मदिरा की आपूर्ति प्राप्त करेगा ।

यदि किसी विशिष्ट ब्राण्ड की विदेशी मदिरा उसके जिले के थोक लाइसेंसधारी / लाइसेंसधारियों के पास उपलब्ध नहीं है तो उत्तरांचल के मुख्यालय के उप आबकारी आयुक्त (लाइसेसिंग) की पूर्व अनुमति से प्रदेश के किसी थोक लाइसेंसधारी से विदेशी मदिरा प्राप्त कर सकेगा ।	यदि किसी विशिष्ट ब्राण्ड की विदेशी मदिरा उसके जिले के थोक अनुज्ञापी / अनुज्ञापियों के पास उपलब्ध नहीं है तो उत्तरांचल के मुख्यालय के उप आबकारी आयुक्त (लाइसेसिंग) की पूर्व अनुमति से प्रदेश के किसी थोक अनुज्ञापी से विदेशी मदिरा प्राप्त कर सकेगा ।
भारत निर्मित विदेशी मदिरा एफ0एल0–2 से निकासी पर प्रति बोतल (केवल स्प्रिट्स) पर मासिक न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की राशि को निम्नानुसार समायोजन किया जायेगा :– प्रति बोतल एक्स आसवनीमूल्य — मासिक न्यूनतम गारंटीड ड्यूटी की राषि । 16 / –रू0 तक — 45 / –रू0 प्रति बोतल 16.01 / से 20 रू0 तक — 50 / –रू0 प्रति बोतल 20.01 / –से 35 रू0 तक — 60 / –रू0 प्रति बोतल 35.01 / –से 75 रू0 तक — 75 / –रू0 प्रति बोतल 75.01 / –से 150 / –रू0तक — 90 / –रू0 प्रति बोतल 150 / –रू0 से ऊपर — 109 / –रू0 प्रति बोतल वि0म0–2 व 2 बी से वि0म0–5 डी अनुज्ञापियों को दी गई बियर की निकासी पर न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की राशि का कोई समायोजन नहीं किया जायेगा ।	भारत निर्मित विदेशी मदिरा एफ0एल0–2 से निकासी पर प्रति बोतल (केवल स्प्रिट्स) पर मासिक न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की राशि का निम्नानुसार समायोजन किया जायेगा :– प्रति बोतल एक्स आसवनीमूल्य — मासिक न्यूनतम गारंटीड ड्यूटी की राषि । 20 / –रू0 तक — 55 / –रू0 प्रति बोतल 20.01 / से 35 रू0 तक — 65 / –रू0 प्रति बोतल 35.01 / –से 75 रू0 तक — 80 / –रू0 प्रति बोतल 75.01 / –से 150 / –रू0तक — 100 / –रू0 प्रति बोतल 150 / –रू0 से ऊपर — 110 / –रू0 प्रति बोतल वि0म0–2 व 2 बी से वि0म0–5 डी अनुज्ञापियों को दी गई बियर की निकासी पर न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की राशि का कोई समायोजन नहीं किया जायेगा।
16. बिक्री की अवधि और दुकानों की बन्दी– अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निश्चित तीन और दिवसों के अतिरिक्त, सभी दिवसों पर प्रातः 10. 00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक बिक्री के लिए खुला रहेगा । लाइसेंस प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से	**16. बिक्री की अवधि और दुकानों की बन्दी**– अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निश्चित तीन और दिवसों के अतिरिक्त, सभी दिवसों पर, 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक की अवधि में प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक तथा 1 अक्टूबर से आगामी वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि में

सम्बंधित गतिविधियों के लिए सम्बंधित कानून के प्राविधानों के अधीन दुकान की बंदी का आदेश दे सकता है । उपरोक्त आधार पर दुकान की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा ।	प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक बिक्री के लिए खुला रहेगा । अनुज्ञापन प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बंधित गतिविधियों के लिए सुसंगत विधि के उपबन्धों के अधीन दुकान की बंदी का आदेश दे सकता है । उपरोक्त आधार पर दुकान की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा ।

(बी0सी0 चन्दोला)
आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल।

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, शुक्रवार, 01 अप्रैल, 2005 ई0
चैत्र 11, 1927 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

कार्यालय आबाकरी आयुक्त, उत्तरांचल

संख्या01 / एस0टी0 / 2005–06

देहरादून, 01 अप्रैल, 2005

अधिसूचना

सा0प0नि0–06

आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4, सन् 1910) (उत्तरांचल में यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित) की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, उत्तरांचल (देशी शराब की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तरांचल आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (आठवां संशोधन) नियमावली, 2005

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

I. यह नियमावली उत्तरांचल आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (आठवां संशोधन) नियमावली, 2005 कही जायेगी।

II. यह 01 अप्रैल, 2005 से प्रवृत होगी।

2. उत्तरांचल आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001, समय–समय पर यथा संशोधित, के नीचे स्तम्भ–1 में अंकित नियम 8(ग), 9(अ) व 17 के स्थान पर स्तम्भ–2 में अंकित नियम रखें जायेंगें :–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
8 (ग) लाईसेंस प्राप्ति के लिये आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिया जायेगा	8 (ग) लाइसेंस प्राप्ति के लिये आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिया जयेगा

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
जिसे, जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से रु0 100/– कैश अथवा जिला आबकारी अधिकारी को देय बैंक ड्राफ्ट देकर प्राप्त किया जा सकता है।	जिसे, समय–समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से तय किये गये आवेदन फीस/प्रोसेसिंग फीस को कैश अथवा जिला आबकारी अधिकारी को देय ब्रैक ड्राफ्ट देकर प्राप्त किया जा सकता है। वर्ष 2005–06 हेतु यह फीस रु0 200/– निर्धारित की गयी है।
9 (अ) यह कि जिला आबकारी अधिकारी अथवा आबकारी आयुक्त के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक से जारी किया गया बैंक ड्राफ्ट धरोहर धनराशि के रूप में प्रस्तुत करेगा। धरोहर धनराशि लाइसेंस फीस की 10 प्रतिशत होगी अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेगी। आवेदक के अनुज्ञापनों के रूप में चयन हो जाने पर धरोहर धनराशि के अनुज्ञापन फीस में समायोजित कर लिया जायेगा। अन्य मामलों में, चयन प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त इसे उसी रूप में आवेदक को लौटा दिया जायेगा।	9 (अ) यह कि जिला आबकारी अधिकारी अथवा आबकारी आयुक्त के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक से जारी किया गया बैंक ड्राफ्ट धरोहर धनराशि के रूप में प्रस्तुत करेगा। धरोहर धनराशि लाइसेंस फीस की 10 प्रतिशत होगी अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेगी। आवेदक के अनुज्ञापनों के रूप में चयन हो जाने पर धरोहर धनराशि के अनुज्ञापन फीस में समायोजित कर लिया जायेगा। अन्य मामलों में, चयन प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त इसे उसी रूप में आवेदक को लौटा दिया जायेगा।
	अनज्ञापी को दुकान आवंटन के तीस दिन के भीतर अपने जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त ऐसे मूल्य का जो आबकारी आयुक्त द्वारा शासन के निर्देशें के अनुसार निर्धारित किया जाये, शोधन क्षमता (सालवेंसी) प्रमाण–पत्र अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अनुज्ञापी को दुकान आवंटन के तीस दिन के भीतर अपने जनपद

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
	के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र भी अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
17. बिक्री की अवधि और दुकानों की बन्दी–अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंता दिवस), 02 अक्टूबर (गांधी जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निश्चित तीन और दिवसों के अतिरिक्त, सभी दिवसों पर प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक बिक्री के लिए खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी कानून और व्यस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए सम्बन्धित कानून के प्राविधानों के अधीन दुकान की बंदी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।	17. बिक्री की अवधि और दुकानों की बन्दी–अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंता दिवस), 02 अक्टूबर (गांधी जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निश्चित तीन और दिवसों के अतिरिक्त, सभी दिवसों पर, 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक की अवधि में प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक तथा 01 अक्टूबर से आगामी वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि मे प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे बिक्री के लिए खुला रहेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित गतिविधयों के लिए सुसंगत विधि के उपबन्धों के अधीन दुकान की बंदी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

बी0 एए0 चन्दोला,
आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल।

In pursuance of the provisions of Clause (3) Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 01/ST/2005-06, dated April 01, 2005 for general information :

No. 01/ST/2005-06

Dated Dehradun, April 01, 2005

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 41 of the U.P. Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910) (as adapted and modified in Uttarnachal) the Excise Commissioner, Uttaranchal with the previous sanction of the State Government hereby makes the following rules further to amend the Uttaranchal Excise (Settlement of Licence for Retail Sale of Country Liquor) Rules, 2001.

THE UTTARANCHAL EXCISE (SETTLEMENT OF LICENCES FOR RETAIL SALE OF COUNTRY LIQUOR) (EIGHTH AMENDMENT) RULES, 2005

1. Short Title and Commencement :

   I. These rules may be called The Uttaranchal Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Country Liquor) (Eighth Amendment) Rules, 2005.
   II. They shall come into force from 1st April, 2005.

2. In the Uttaranchal Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Country Liquor) Rules, 2001, as amended from to time hereinafter referred to as the said Rules, for rule 8 (c), 9(e) & 17 set out in Coloum No. I below, the rules set out in Column No. II shall be substituted :-

Column-I	Column-II
8(c) Application fo grant of licence shall be made on prescribed form which can be obtained from the District Excise Officer on payment of Rs. 100/- in Cash or Bank Draft payable to District Excise Officer.	8(c) Application fo grant of licence shall be made on prescribed form which can be obtained from the District Excise Officer on payment of the application fee/processing fee, as fixed by the Excise Commissioner in consultation with the State Government form time to time, in Cash of Bank Draft payable to the

Column-I	Column-II
	District Excise Officer. This fee has been fixed as Rs. 200/- for the year 2005-06.
9(e) He will furnish a bank draft drawn in favour of the Excise Commissioner or the District Excise Officer issued from a scheduled bank as earnest money. The amount of earnest money shall be 10% of the licence fee or as fixed by the Excise Commissioner from time to time. In case the applicant is selected as licensee, the earnest money shall be adjusted against the licence fee. In other cases if shall be returned as such to the applicant as soon as selection process is over.	9(e) He will furnish a bank draft drawn in favour of the Excise Commissioner or the District Excise Officer issued from a scheduled bank as earnest money. The amount of earnest money shall be 10% of the licence fee or as fixed by the Excise Commissioner from time to time. In case the applicant is selected as licensee, the earnest money shall be adjusted against the licence fee. In other cases if shall be returned as such to the applicant as soon as selection process is over. The licensee shall have to deposit a solvency certificate of value prescribed by the Excise Commissioner, as per the directions of the State Government, before the licensing authority within thirty days from the date of allotment of the shop.
17.	17. The licensee shall have to deposit a character certificate issued by the Collector of his district, before the licensing authority within thirty days

Column-I	Column-II
Hours of sale and closure of the shop : The licenced premises shall remain open for sale on all days from 10:00 A.M. to 10:00 P.M. except on April 14 (Ambedkar Jayanti), August 15 (Independence day), October 02 (Gandhi Jayanti), January 26 (Republic Day) and upto three more days as notified for closure by the licensing authority. Licensing authority may also order for closure of shop on account of law and order or general election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds.	from the date of allotment of the shop. **Hours of sale and closure of the shop :** The licenced premises shall remain open for sale on all days from 10:00 A.M. to 11:00 P.M. during period April 01 to September 30 and from 10 A.M. October 01 to March 31 of the coming year, except on April 14 (Ambedkar Jayanti), August 15 (Independence day), October 02 (Gandhi Jayanti), January 26 (Republic Day) and upto three more days as notified for closure by the licensing authority. Licensing authority may also order for closure of shop on account of law and order or general election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds.

B.C. Chandola,
Excise Commissioner,
Uttaranchal

संख्याः1839–51 / सात–लाईसेंस–62 / थोक बिक्री / वि0म0 / 2005–2006,

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

देहरादून दिनांकः 11.4.2005

विषय :– <u>वर्ष 2005–2006 के लिए (उत्पाद शुल्क जमा करने के उपरान्त) विदेशी मदिरा व बियर की थोक बिक्री लाईसेंसो (एफ0एल0–2) की व्यवस्था।</u>

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2005–2006 में पूर्ण अथवा आंशिक अवधि के लिए विदेशी मदिरा की थोक बिक्री के अनुज्ञापन एफ0एल0–2 की लाईसेंस फीस निम्न प्रकार निर्धारित की गई है:–

कमांक	जनपद का नाम	एफ0एल0–2 की लाईसेंस फीस (रूपये में)	कमांक	जनपद का नाम	एफ0एल0–2 की लाईसेंस फीस
1	देहरादून	25,09,444 / –	8	उ0सिंह नगर	25,09,444 / –
2	पौड़ी गढ़वाल	25,09,444 / –	9	अल्मोड़ा	20,49,415 / –
3	टिहरी गढ़वाल	20,49,415 / –	10	पिथौरागढ़	12,12,905 / –
4	उत्तरकाशी	12,12,905 / –	11	बागेश्वर	12,12,905 / –
5	चमोली	12,12,905 / –	12	चम्पावत	12,12,905 / –
6	रूद्रप्रयाग	7,52,905 / –	13	हरिद्वार	25,09,444 / –
7	नैनीताल	25,09,444 / –			

उपरोक्तानुसार देय लाइसेंस फीस का 1 / 6 भाग अग्रिम जमा करना होगा व शेष लाईसेंस फीस मासिक किस्तों में निम्न प्रकार जमा की जायेगी :–

1 / 12 भाग 7 अप्रैल 2005 तक	1 / 12 भाग 7 जुलाई 2005 तक	1 / 12 भाग 7 अक्टूबर 2005 तक	1 / 12 भाग 7 जनवरी 2006 तक
1 / 12 भाग 7 मई 2005 तक	1 / 12 भाग 7 अगस्त 2005 तक	1 / 12 भाग 7 नवम्बर 2005 तक	1 / 12 भाग 7 फरवरी 2006 तक
1 / 12 भाग 7 जून 2005 तक	1 / 12 भाग 7 सितम्बर 2005 तक	1 / 12 भाग 7 दिसम्बर 2005 तक	1 / 12 भाग 7म 2006 तक

यदि अनुज्ञापी नियमानुसार निर्धारित तिथि तक राजस्व का भुगतान करने में असफल रहता है, तो लाईसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञापी पर पेनाल्टी लगायी जायेगी, जो अनुज्ञापी पर बकाया राजस्व पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से देय ब्याज की गणना करने के उपरान्त प्रतिदिन देय ब्याज की राशि के बराबर होगी।

यदि अनुज्ञापी के विरूद्ध सरकारी राजस्व की कोई देयता न हो तो अग्रिम फीस की राशि क्रमशः फरवरी व मार्च माह में देय लाईसेंस फीस के विरूद्ध समायोजित कर ली जायेगी।

1. शासन के निर्णयानुसार विदेशी मदिरा के थोक बिक्री हेतु अनुज्ञापन एफ0एल0–2 पूर्ववत गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुंमाऊँ मण्डल विकास निगम को आवेदन करने पर दिये जायेंगें। व्यापार में प्रतिस्पर्धा एवं अबाध आपूर्ति बनाये रखने के लिए पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, उत्तरांचल को भी उनके द्वारा आवेदन करने पर विदेशी मदिरा का थोक अनुज्ञापन दिये जायेंगें । आबकारी आयुक्त द्वारा अनुज्ञापन के निर्गमन के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लिया जायेगा । एफ0एल0–2 अनुज्ञापन के स्तर से लिये जाने वाला लाभांश गत वर्ष आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

2. एफ0एल0–2 अनुज्ञापन (डयूटी पेड विदेशी मदिरा तथा बियर के थोक बिक्री अनुज्ञापन) वित्तीय वर्ष में कभी भी दिये जा सकते हैं, जो उक्त वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो जायेंगे।

3. प्रपत्र एफ0एल0–2 में लाईसेंस जिलेवार गढ़वाल मंडल के जनपदो हेतु गढ़वाल मंडल विकास निगम एवं कुमायुं मंडल के जनपदो हेतु कुमायुं मंडल विकास निगम को दिये जायेगे, परन्तु पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, उत्तरांचल के द्वारा राज्य के किसी भी जनपद में उनके द्वारा आवेदन करने पर अनुज्ञापन स्वीकृत किये जा सकते हैं । गढ़वाल व कुमाऊं मंडल विकास निगमों को क्रमशः गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के प्रत्येक जनपद में एफ0एल0–2 खोलना अनिवार्य होगा।

4. आवेदक के पास एफ0एल0–2 अनुज्ञापन हेतु प्रस्तावित परिसर होना चाहिए, जो अनुज्ञापन निर्गत किये जाने से पूर्व जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो ।

5. अनुज्ञापन निर्गत होने से पूर्व अनुज्ञापी को निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क तथा उसके साथ ही एफ0एल0–2 अनुज्ञापन हेतु रू0 50,000/–(पचास हजार रूपये प्रत्येक जनपद के लिए अलग–अलग) की प्रतिभूति अतिरिक्त रूप से जिलाधिकारी को प्रतिश्रुत करके जमा करनी होगी। यह प्रतिभूति शिडयूल्ड बैंक के सावधि जमा रसीद अथवा अल्प बचत प्रमाण–पत्र अथवा पोस्ट आफिस सेविंग बैंक खाते की पास बुक के रूप में जमा की जा सकती है। प्रतिभूति की राशि अनुज्ञापन की अवधि समाप्त होने के उपरान्त यदि अनुज्ञापी के विरूद्ध आबकारी राजस्व की कोई देयता न हो तो, अनुज्ञापी को वापस कर दी जायेगी।

6. जिला आबकारी अधिकारी एफ0एल0–2 अनुज्ञापन हेतु प्राप्त प्रार्थना–पत्र की समुचित जांच के उपरान्त, सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे एवं जिलाधिकारी, आबकारी आयुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त करके आवेदक को उपरोक्तानुसार अनुज्ञापन स्वीकृत करेंगे।

7. प्रपत्र एफ0एल0–2 में लाईसेंस धारण करने वाला लाईसेंसधारी केवल उस जिले की सीमाओं के भीतर, जिसके लिए लाईसेंस दिया गया है, विदेशी मदिरा/बियर की बिक्री करेगा।

किन्तु संयुक्त आबकारी आयुक्त, मुख्यालय, उत्तरांचल की अनुमति से विदेशी मदिरा व बियर के बार अनुज्ञापियों व क्लब बार परमिटधारको को उत्तरांचल प्रदेश के किसी अन्य एफ0एल0–2 अनुज्ञापी से भी विदेशी मदिरा/बियर क्रय करने की छूट होगी।

8. एफ0एल0–2 अनुज्ञापी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अनुज्ञापित परिसर में बेची जाने वाली समस्त विदेशी मदिरा/बियर का नाम तथा मूल्य की एक सूची आबकारी आयुक्त के पास भेजेगें और बिना आबकारी आयुक्त की अनुमति के वित्तीय वर्ष में मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे।

9. अनुज्ञापी के लिए अनिवार्य होगा कि वह ब्राण्ड लिस्ट तथा रेट लिस्ट अपने अनुज्ञापित परिसर पर इस प्रकार प्रदर्शित करें, कि प्रत्येक ग्राहक उसे देख सके।

10. अनुज्ञापी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह जनपद के विदेशी मदिरा के फुटकर अनुज्ञापियों/बार अनुज्ञापियों तथा क्लबपरमिट धारकों से मदिरा/बियर के एच्छिक ब्राण्डों एवं उनकी मात्रा विषयक तिथिवार विवरण प्राप्त मांग पत्रों को एक पंजी में अंकित करेगा और प्रथम आवक, प्रथम पावक के सिद्धान्त पर सम्बंधित अनुज्ञापी को निकासी देगा ।

11. किसी जनपद के एफ0एल0–2 में मदिरा/बियर के किसी ब्राण्ड की अनुपलब्धता होने पर केवल उस ब्राण्ड की आपूर्ति प्रदेश के अन्य एफ0एल0–2 या आसवनी या बी0डब्लू0एफ0एल0–2 या बी0डब्लू0एफ0एल0–2बी से विशेष परिस्थितियें में संयुक्त आबकारी आयुक्त, मुख्यालय उत्तरांचल की लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करके उस जनपद के एफ0एल0–5डी अनुज्ञापियों को की जा सकेगी।

12. यदि किसी कारण से किसी जनपद में एफ0एल0–2 अनुज्ञापन के व्यवस्थापन में विलम्ब होता है, तो जिला आबकारी अधिकारी की संस्तुति पर मुख्यालय के संयुक्त आबकारी आयुक्त उस जनपद के एफ0एल0–5डी अनुज्ञापियों को प्रदेश के किसी अन्य जनपद के एफ0एल0–2 अनुज्ञापन से विदेशी मदिरा और बियर लेने की अस्थायी अनुमति दे देंगे, जो उक्त एफ0एल0–2 अनुज्ञापन निर्गत होते ही स्वतः समाप्त हो जायेगी।

13. एफ0एल0–2 अनुज्ञापी आई0एम0एफ0एल0 पर 55/– रूपये प्रति ए0एल0 व 5 प्रतिशत वी/वी तक अल्कोहल वाली तथा 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक परन्तु 8 प्रतिशत वी/वी तक अल्कोहल वाली बियर पर क्रमशः 11.55 रूपये तथा 23.10 रूपये प्रति बल्क लीटर उत्पाद शुल्क जमा करने के उपरान्त एफ0एल0–1 या बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2/ बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2बी से विदेशी मदिरा व बियर प्राप्त कर सकेंगे। मदिरा एवं बियर के प्रत्येक लेबिल पर 'फार सेल इन उत्तरांचल ओनली' छपा होना आवश्यक रूप से अनिवार्य होगा। एफ0एल0–2 से बेची जाने

वाली विदेशी मदिरा की प्रत्येक बोतल/अद्धा/पौवा तथा बियर की प्रत्येक बोतल/केन पर आबकारी विभाग का नम्बरयुक्त होलोग्राम लगा होना अनिवार्य है।

14. जिला आबकारी अधिकारी अपने जनपद में स्थित विदेशी मदिरा की एफ0एल0–5डी दुकानों की निर्धारित वार्षिक गारंटीड डयूटी जमा होने के मासिक विवरण का अप–टू–डेट रिकार्ड एक रजिस्टर में रखेगे जिसका प्रोफार्मा निम्न प्रकार होगा :–

1) दुकान का नाम ––
(2) अनुज्ञापी का नाम ––

दुकान की चौहद्दी
- पूर्व –
- पश्चिम –
- उत्तर –
- दक्षिण –

क्रमांक	माह का नाम	माह में देय वार्षिक गारन्टीड डयूटी /ड्यूटी की राशि	राशि जमा होने का विवरण		विदेशी मदिरा एफ0एल0–2 से मदिरा लेने हेतु जारी आदेश की संख्या व दिनांक	विदेशी मदिरा की मात्रा		जिला आबकारी अधिकारी के हस्ताक्षर
			ट्रेजरी चालान सं0	दिनांक		ड्यूटी की श्रेणी के अनुसार संख्या	येाग बोतलों में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अप्रैल							
2	मई							
3	जून							
4	जुलाई							
5	अगस्त							
6	सितम्बर							
7	अक्टूबर							
8	नवम्बर							
9	दिसम्बर							
10	जनवरी							
11	फरवरी							
12	मार्च							

प्रत्येक माह में उस माह के लिए निर्धारित वार्षिक गारंटीड डयूटी की राशि से अधिक तथा बार अनुज्ञापियों/क्लब बार परमिटधारकों के मामले में 20,000 बोतल की

वार्षिक सीमा से अधिक (जिस पर आबकारी आयुक्त के निर्देशों के अनुसार निर्धारित ड्युटी की बढ़ी दर से अतिरिक्त राशि जमा करानी होगी) निकासी का विवरण एक रजिस्टर में निम्न प्रारूप में रखा जायेगाः–

क्रमांक	माह का नाम	जमा राशि का विवरण ट्रेजरी चालान सं0 व दिनांक सहित	बोतलो की संख्या		जिला आबकारी अधिकारी के आदेश सं0 व दिनांक	जिला आबकारी अधिकारी के हस्ताक्षर
			ड्यूटी की श्रेणी के अनुसार संख्या	येाग बोतलों में		
1	2	3	4	5	6	7
1	अप्रैल					
2	मई					
3	जून					
4	जुलाई					
5	अगस्त					
6	सितम्बर					
7	अक्टूबर					
8	नवम्बर					
9	दिसम्बर					
10	जनवरी					
11	फरवरी					
12	मार्च					

15. एफ0एल0–5डी अनुज्ञापी द्वारा माह के लिए निर्धारित वार्षिक गारंटी डयुटी की राशि जमा कर देने पर एफ0एल0–5डी अनुज्ञापी के प्रार्थना–पत्र पर जिला आबकारी अधिकारी इस राशि के विपरीत विदेशी मदिरा की निकासी के आदेश ब्राण्डवार जारी करेंगे। विदेशी मदिरा की निकासी हेतु मासिक गारंटी डयूटी के विपरीत विभिन्न ब्राण्ड्स की बोतलो की संख्या का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा :–

प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य	अभिकर प्रतिबोतल (1 बोतल = 2 अद्धा = 4 पौवा)

20.00 रूपये	रू0 55.00
20.01 रू0 से 35.00 रू0 तक	रू0 65.00
35.01 रू0 से 75.00 रू0 तक	रू0 80.00
75.01 रू0 से 150.00 रू0 तक	रू0 100.00
150 रू0 से अधिक	रू0 110.00

बियर के लिए अलग से कोई मासिक गारण्टी डयूटी नहीं देनी होगी।

बोतलो की संख्या निकालने हेतु गणना निम्न प्रकार की जायेगीः—

माना 55/— रू0 अभिकर की बोतलों की संख्या						= क
65/—	"	"	"	"	"	= ख
80/—	"	"	"	"	"	= ग
100/—	"	"	"	"	"	= घ
110/—	"	"	"	"	"	= च

वार्षिक गारंटी डयूटी की मासिक राशि = (55 X क) + (65 X ख) + (80 X ग) + (100 X घ) + (110 X च)

15. बार अनुज्ञापियों व क्लब परमिटधारकों को एफ0एल0—2 से बेची जाने वाली विदेशी मदिरा की प्रत्येक बोतल पर भी एफ0एल0—5डी अनुज्ञापियों द्वारा देय प्रति बोतल न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की राशि के समान ही प्रति बोतल ड्यूटी से राशि देय होगी। जिला आबकारी अधिकारी यह धन अग्रिम जमा कराने के उपरान्त बार अनुज्ञापियों व क्लब परमिटधारकों को निकासी के आदेश जारी करेंगें, जिसके उपरान्त ही एफ0एल0—2/एफ0एल0—2बी अनुज्ञापी बार अनुज्ञापियों व क्लबबार परमिटधारकों को विदेशी मदिरा की निकासी देंगें। बार अनुज्ञापी एक वर्ष की अवधि के दौरान उपरोक्त प्रति बोतल न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की दर पर एफ0एल0—2 से 20,000 (बीस हजार) बोतल तक की निकासी प्राप्त कर सकेगें। यह संख्या वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने अर्थात दिनांक 01.04.2004 से गिनी जायेगी। इससे अधिक बोतलों की एफ0एल0—2 से निकासी होने पर बोतलों की प्रत्येक 10 प्रतिशत वृद्धि के लिए रू0 5/— प्रति बोतल की बढ़ी दर से अतिरिक्त ड्यूटी की राशि का भुगतान बार अनुज्ञापियों/क्लब बार परमिटधारकों को करना होगा।

16. एफ0एल0—2 में मदिरा के गोदाम पर दो ताले लगाये जायेगे, जिनमें से एक की चाबी अनुज्ञापी के पास व दूसरे की चाबी क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक, जिनके क्षेत्र में एफ0एल0—2 स्थित होगा, के पास रहेगी। जिला आबकारी अधिकारी से प्राप्त आदेश के अनुसार निरीक्षक द्वारा एफ0एल0—2 से मदिरा की निकासी

एफ0एल0–5डी व बार अनुज्ञापियों तथा क्लब बार परमिटधारकों को दी जायेगी। एफ0एल0–5डी व बार अनुज्ञापी अपनी पसंद के अनुसार विदेशी मदिरा के ब्राण्ड्स ले सकेंगे। जिला आबकारी अधिकारी के निकासी आदेश में जमा राशि व ब्राण्डवार मदिरा की मात्रा का उल्लेख होगा। बियर की निकासी के लिए जिला आबकारी अधिकारी के आदेश की आवश्यकता नहीं होगी व बियर के स्टॉक पर केवल अनुज्ञापी का ताला रहेगा।

17. जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निकासी हेतु आदेश निम्न प्रारूप में जारी किया जायेगा :–

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जनपद ....

क्र0सं0 दिनांक

एफ0एल0–2 अनुज्ञापी का नाम ....

एफ0एल0–5डी अनुज्ञापी .... द्वारा माह ....वर्ष .... हेतु/अथवा माह .... वर्ष .... में निर्धारित वार्षिक गारन्टीड डयूटी की मासिक राशि से अधिक राशि निम्न प्रकार जमा की गई है :–

1. प्रारम्भिक अवशेष ....
2. जमा राशि ....
(ट्रेजरी चालान सं0............
व दिनांक ....)
3. योग ....

इन्हे निम्नानुसार विदेशी मदिरा की निकासी दे दी जाये :–

4. प्रतिबोतल न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की राशि	बोतलों की संख्या	कुल ड्यूटी की राशि
55/– रू0 प्रति बोतल		
65/– रू0 प्रति बोतल		
80/– रू0 प्रति बोतल		
100/– रू0 प्रति बोतल		
110/– रू0 प्रति बोतल		
योग ––		

5. न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की शेष राशि ....
(कालम 3– 4)

जिला आबकारी अधिकारी
जनपद.........................

यह आदेश जारी करने हेतु उपरोक्त प्रपत्र की किताब छपवाई जायेगी, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर नम्बर छपे होंगे। आदेश की मूल प्रति आवेदनकर्ता को दी जायेगी व कार्बन प्रति कार्यालय में अनुरक्षित की जायेगी।

आवेदनकर्ता द्वारा उक्त आदेश की मूल प्रति एफ0एल0–2 के इंचार्ज आबकारी निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करने पर निरीक्षक द्वारा एफ0एल0–2 से मदिरा की निकासी दे दी जायेगी। निकासी आदेश पर, ''निरस्त'' की मोहर व अपने हस्ताक्षर (सतिथि) करने के उपरान्त अपने पदनाम की मोहर लगाकर आबकारी निरीक्षक इसे अपने कार्यालय में अनुरक्षित करेंगे।

एफ0एल0–5डी, बार अनुज्ञापी व क्लबबार परमिटधारक निम्न प्रारूप में निकासी की पास बुक अनुरक्षित करेंगे :–

1) दुकान का नाम ––

(2) अनुज्ञापी का नाम ––

दुकान की चौहद्दी
- पूर्व –
- पश्चिम –
- उत्तर –
- दक्षिण –

क्रमांक	माह का नाम	माह में देय वार्षिक गारन्टीड डयूटी की राशि	राशि जमा होने का विवरण		विदेशी मदिरा एफ0एल0–2 से मदिरा लेने हेतु जारी आदेश की संख्या व दि0	मदिरा की मात्रा		आबकारी निरीक्षक के हस्ताक्षर
			ट्रेजरी चालान सं0	दिनांक		ड्यूटी की श्रेणी के अनुसार	योग बोतलों में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अप्रैल							
2	मई							
3	जून							
4	जुलाई							
5	अगस्त							
6	सितम्बर							
7	अक्टूबर							
8	नवम्बर							
9	दिसम्बर							
10	जनवरी							
11	फरवरी							
12	मार्च							

प्रत्येक माह में वार्षिक गारंटीड डयूटी की राशि से अधिक निकासी का विवरण निम्न प्रारूप में पास बुक में रखा जायेगा :–

क्रमांक	माह का नाम	जमा राशि का विवरण ट्रेजरी चालान सं0 व दिनांक सहित	बोतलो की संख्या		जिला आबकारी अधिकारी के आदेश सं0 व दिनांक	जिला आबकारी अधिकारी के हस्ताक्षर
			ड्यूटी की श्रेणी के अनुसार	योग		
1	2	3	4	5	6	7
1	अप्रैल					
2	मई					
3	जून					
4	जुलाई					
5	अगस्त					
6	सितम्बर					
7	अक्टूबर					
8	नवम्बर					
9	दिसम्बर					
10	जनवरी					
11	फरवरी					
12	मार्च					

19. एफ0एल0–5डी अनुज्ञापी द्वारा किसी माह के लिए निर्धारित मासिक गारन्टीड डयूटी से अधिक विदेशी मदिरा की निकासी पर तथा बार अनुज्ञापियों एवं क्लब बार परमिटधारकों के लिए निर्धारित वार्षिक सीमा से अधिक निकासी पर इन अनुज्ञापियो/परमिटधारकों को आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुसार प्रति बोतल बढ़ी दर से अतिरिक्त ड्यूटी देनी होगी, जिसके जमा होने के बाद व जिला आबकारी अधिकारी से निकासी आदेश मिल जाने के उपरान्त ही, विदेशी मदिरा की निकासी इन अनुज्ञापियों को एफ0एल0–2 से प्राप्त हो सकेगी।

20. एफ0एल0–2 पर विदेशी मदिरा एवं बियर की खरीद हेतु एक्स आसवनी एवं एक्स ब्रीवरी मूल्यों का निर्धारण इस सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति व इस संस्तुति के आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदन के उपरान्त किया जा सकेगा एवं इन्ही मूल्यों

के आधार पर एफ0एल0–2 से मदिरा/बियर की निकासी फुटकर अनुज्ञापियों को दी जायेगी।

भवदीय

(बी0 सी0 चन्दोला)
आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल

संख्याः1852–75/सात–लाईसेंस–62/थोक बिक्री/वि0म0/2005–2006/तददिनांक,
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, आबकारी, उत्तरांचल शासन, आबकारी विभाग, सचिवालय, देहरादून।
2. समस्त अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय, उत्तरांचल।
3. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरांचल।
4. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन, उत्तरांचल।
5. समस्त आबकारी निरीक्षक, अपराध निरोधक क्षेत्र/प्रवर्तन दल, उत्तरांचल।

(बी0 सी0 चन्दोला)
आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल